SHRI GURUDAS DASGUPTA: The cat is out of the bag, Madam. ...(*Interruptions*)... The cat is out of the bag. ...(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance. Shri Biplab Dasgupta.

(*Interruptions*)

That Business is closed now. Nothing will go on record except the Calling Attention.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

The Situation Arising out of Widespread Violation of Labour Laws

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): Madam, I beg to call the attention of the Minister of Labour to the situation arising out of widespread violation of labour laws leading to non-payment of wages, default in the payment of provident fund dues and other statutory dues.

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): उपसभापति महोदया,

सरकार विशेष रूप से उन श्रम कानूनों के उल्लंघन के बारे में चिन्तित है जो कामगारों को सांविधिक देयों की अदायगी न किए जाने से संबंधित हैं। देयों की अदायगी से संबंधित मुख्य-मुख्य अधिनियम निम्नलिखित हैं:—

(क) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-33(ग) (2)

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952

(घ) उपदान संदाय अधिनियम, 1972

(ङ) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

(च) बोनस संदाय अधिनियम, 1965

श्रम का विषय समवर्ती सूची में है। सामान्य रूप से इन अधिनियमों के प्रवर्तन का संयुक्त दायित्व केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का है। कर्मचारी भविष्य निधि (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार के अधिनियम हैं, के अलावा अन्यों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित किया जाता है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी) पीठासीन हुए]

मजदूरी संदाय अधिनियम के प्रवर्तन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। केन्द्रीय सरकार केवल खानों, रेलवे, तेल क्षेत्रों और हवाई परिवहन सेवाओं के मामले में इस अधिनियम के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों में मजदूरी संदाय अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन का दायित्व उन संबंधितम राज्य सरकारों पर है जहां वे प्रतिष्ठान स्थित हैं। उक्त अधिनियम केवल 1599/- रुपये प्रतिमाह तक वेतन प्राप्त करने वाले कामगारों पर ही लागू होता है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रतिष्ठानों के अधिकांश कामगार 1600/- रुपये प्रतिमाह से अधिक मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अंतर्गत लगभग 3 लाख प्रतिष्ठानों तथा 215 लाख कर्मचारियों को शामिल किया गया है। 1997-98 के दौरान पेंशन और कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा सहित कर्मचारी भविष्य निधि तथा अन्य उद्ग्रहणों (कलैक्शन्ज़) की कुल धनराशि 6966 करोड़ रुपये थी। इसके विपरीत, इन देयों की अदायगी न किए जाने के कारण 31.3.98 तक कुल बकाया राशियां केवल 467 करोड़ रुपये थीं जो एकत्र की गयी राशि और शामिल किए गए कार्यबल की 6.7 प्रतिशत बैठती है।

कार्यान्वयन तंत्र

सरकार के पास उपर्युक्त अधिनियमों का प्रवर्तन करने के लिए एक समर्पित कार्यान्वयन तंत्र है और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर यह इस तंत्र को सुदृढ़ भी कर रही है कि कर्मकारों की देय राशियों का निपटारा शीघ्र किया जाए। हाल के कदमों में क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय के सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों तथा सहायक भविष्य निधि आयुक्तों को वसूली अधिकारियों के रूप में अधिसूचित करके कर्मचारी भविष्य निधि के वसूली तंत्र को विस्तृत आधार प्रदान किया जाना भी शामिल है।

मजदूरी संदाय अधिनियम (1936) और उपदान संदाय अधिनियम, 1972 का प्रशासन मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के प्रभार के अधीन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा किया जाता है। मुख्यालय में, केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अपने 25 अधिकारी हैं और

क्षेत्र में 235 अधिकारी हैं जो पूरे देश में फैले ऑचलिक, क्षेत्रीय और इकाई स्तर के प्रतिष्ठानों में नियुक्त हैं। तथापि, श्रम कानूनों का प्रवर्तन केवल उन्हीं उद्योगों और प्रतिष्ठानों के संबंध में किया जाता है जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है। सरकार केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र का सुदृढ़ीकरण भी कर रही है।

किए गए निरीक्षण

केन्द्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के संबंध में केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के प्रवर्तन अधिकारियों ने 1997 के दौरान 6393 निरीक्षण किए जिनमें 64941 अनियमितताओं के मामले पाए गए, 1693 अभियोजन चलाए गए और 1414 को सिद्धदोष किया गया।

जहां तक कर्मचारी भविष्य निधि चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई का संबंध है, 1470 चूककर्ता नियोक्ताओं के बैंक खाते और 354 चूककर्ताओं की चल और अचल सम्पत्तियों की कुर्की की गई। इसके अतिरिक्त 550 मामलों में गिरफ्तारी से संबंधित कार्रवाई शुरू की गई और 8 मामलों में वास्तव में गिरफ्तारी की गई। इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप 1997-98 के दौरान गैर छूट प्राप्त क्षेत्र से 130.7 करोड़ रुपये की वसूली की गई और छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों में 62.92 करोड़ रुपए स्थानान्तरित किए गए और अधिनियम की धारा 14 के अधीन 2288 मामलों में अभियोजन चलाए गए और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अधीन शिकायतें दायर की गईं।

उपदान संदाय अधिनियम के मामले में, 1997 के दौरान केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा उपदान का भुगतान न करने के 4071 आवेदन प्राप्त किये गए। इनमें से कुल 1556 मामलों को कर्मचारियों के पक्ष में निपटाया गया जबकि 409 मामले नियोजकों के पक्ष में निपटाये गये। इस अवधि के दौरान केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा 3.44 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई।

जहां तक बोनस संदाय अधिनियम का संबंध है 1997 में अनियमितताओं के कुल 1141 मामले पाये गये जिनमें से 902 में सुधार किया गया। इसी अवधि के दौरान 31 अभियोजन दायर किये गये और 42 सिद्धदोष प्राप्त किये गये।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के संबंध में 1997-98 के दौरान, कुल 75985 निरीक्षण किये गये जिनमें से 50501 मामलों में चूक पायी गयी। 2395 मामलों में अभियोजन कार्रवाई की गई और इस संबंध में 37.3 करोड़ रुपये की राशि वसूली की गई।

बकाया राशियों की समाप्ति के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा की गई आगे की कार्रवाई

कर्मकारों की सांविधिक बकाया राशियों की समाप्ति के लिए यह मंत्रालय भरसक प्रयास कर रहा है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इन बकाया राशियों का भुगतान न किये जाने के संबंध में नोट तैयार किया गया था जिस पर 19.7.97 को मंत्रिमंडल की बैठक में विचार-विमर्श किया गया। इस मुद्दे पर समग्र रूप से विचार करने के लिए मंत्रिमंडल ने कृषि मंत्री की अध्यक्षता में वित्त मंत्री और श्रम राज्य मंत्री को सदस्यों के रूप में शामिल कर एक मंत्रियों का ग्रुप नियुक्त करने का निर्णय लिया। मंत्री दल ने 29.8.97 को बैठक की किन्तु कोई इस मुद्दे पर कोई अंतिम कार्यनीति तैयार नहीं की जा सकी क्योंकि मंत्रिमंडल को भंग कर दिया गया था। तब से श्रम मंत्रालय कामगारों के पिछले बकाये की स्थिति का प्रबोधन करता रहा है तथा संबद्ध प्रशासनिक विभागों से इन बकायों के जल्द परिसमापन हेतु प्रयास करने का अनुरोध करता रहा है। कुछ विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर, 1997 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि 709 करोड़ रुपये थी। 31.3.98 तक के अनंतिम आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले बकाए में कमी आई और यह 549 करोड़ रुपए रह गया।

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण कंपनियों को गैर-योजनागत ऋण देती रही है ताकि वे कर्मचारियों को कठिनाईयों से बचाने के लिए उन्हें मजदूरी और वेतन भुगतान के लिए संसाधन की कमी को पूरा कर सके। 1998-99 के केन्द्रीय बजट में मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण तथा पुनर्जीवित हो रही इकाइयों के कर्मचारियों की मजदूरी और वेतन के भुगतान के लिये गैर-योजनागत ऋण के मद में 1482 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी मद में 1196 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।

मंत्रालय इस मुद्दे पर विचार-विमर्श हेतु शीघ्र ही सचिवों की एक बैठक बुलाएगा तथा मंत्रिमंडल के विचारार्थ एक नया नोट प्रस्तुत करेगा जिससे इन समस्याओं का समाधान हो सके। धन्यवाद।

SHRI GURUDAS DASGUPTA (West Bengal): Before we proceed I want to make a point. I am requesting you and I have requested the hon. Deputy Chairman also to kindly ask the Finance Minister to be present in the House because the whole question depends on the availability of Government funds and that is in the custody of the Finance Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): It depends on the convenience of the Finance Minister. I was present yesterday when the request was made by Mr. Biplab Dasgupta and others. I think the Labour Minister may try to get in touch with the Finance Minister in some effective manner to see that at least he makes himself available to this House for some time. That will be useful. In the meanwhile, we will continue with the discussion.

DR. BIPLAB DASGUPA (West Bengal): This is not a party political issue. We have been raising these issues for the last three to four years quite regularly Many Members asked me, "Why do you raise these issues time and again"? The reason is quite simple. The issues which we have been raising have not been resolved. We raised these issues with Shri Sangma when he was the Labour Minister. We raised these issues with Shri Arunachalam when he was the Labour Minister. Now we are raising these issues when Shri Jatia is the Labour Minister. The Finance Minister and the Industry Minister are also involved in it. This is not a party, political issue. I am making it clear at the very beginning. This is also not an issue which is merely concerned with the trade unions. Usually, these issues are raised by trade unionists. In my party there are many Members who are more capable of raising these issues. But we have taken a deliberate decision that I will speak just to demonstrate that this is not an issue merely concerning the trade unions. It is an issue which concerns every section of the society. That is the reason why we are raising this issue.

The issue is very simple. There are a large number of public sector units which do not pay wages and salary to their staff sometimes for four months, sometimes for six months and sometimes for 14 to 15 months. I have a list of enterprises which have not been paying the wages to their staff regularly. I will just read out some of the names so that the Minister can check them up. For example, the Hindustan Cables, both Rupnarayan Unit and the Hyderabad unit. Then there is the Burn and Standards. There are certain other units like Bharat Refractory in Durgapur, Jessop and Co., Mining and Allied Machinerry Corporation Ltd., Bharat Coal Mines, IDPL, HSCL, MPCC, NGMC, etc. I can mention a number of such names. The main point is this. There are a large number of public sector units where the workers have put in their labour and they have done what they are suppossed to do, but they have not been given salary for months. This issue has to be taken up very seriously. The Minister in his statement has mentioned a number of laws which are in force, like the Payment of Wages Act, 1936, the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952, the Payment of Gratuity Act, 1972, the Payment of Bonus Act, 1965, etc. So there is no shortage of laws. There are many laws which can deal with this issue. But some of these Acts are slightly outdated. For example, there is a mention of the Payment of Wages Act, 1936. It is outdated because it only deals with the employees whose salary is less than Rs. 1,600/-. This Act is not relevant now. This has to be amended. It can only be amended by the Central Government.

I am a bit worried on a number of counts. What is the total amount of arrears which has not been paid? The Minister in his statement has mentioned that the total arrears is Rs. 467 crores. I have another statement with me, which was made in this House on 8th June this year, where it is mentioned that the total arrears is Rs. 645 crores. I would like to know which of the two figures is correct. it has to be established. I also understand that the Government has made a provision under non-plan Expenditure for public sector units—the Minister has mentioned this in his statement—of Rs. 1,482 crores. The amount allocated is more than the amount that is necessary to pay the wages and salary. If that is the case, what prevents the Government—I am

taking the Government as one entity—from making payments to the workers who are not getting their wages for quite a long time. A certain amount of money has already been allocated in the Budget which is more than the amount that is necessary to pay the wages.

Now, what I find very worrying about the statement of the hon. Minister is this. You look at the second paragraph. The question is: Whose responsibility is it to enforce these Acts? The Minister says the responsibility lies with the State Governments. Labour is a concurrent subject and enforcement of the Payment of Wages Act is primarily the responsibility of the State Government. In fact, even in the case of Central Public Sector Undertakings, he says that the enforcement of provisions of the Payment of Wages Act in Central public sector establishments is the responsibility of the concerned State Governments where they are situated. But what exactly does it mean? How can we enforce it? Can the State Government put the Managing Director of a Central public sector unit in jail? Is that possible? That is not possible. It cannot be applied against the employer which happens to be the Central Government. So, the whole idea that it is the responsibility of the State Government has no meaning, when the concerned employer is the Central Government. So, the Central Government has to take the responsibility, not the State Government, because the Central Government is the employer.

Moreover, the Central Government is supposed to be a model employer. I think all over the country this is a general expectation of people that when are in Government Service, the Government will act as a model employer so that the employers in the private sector can follow the Central Government as a model employer regarding payment of wages, working conditions and other things. Now, here you find that the Central Government itself is violating the provisions of its own laws. Then, what moral authority would the Central Government have to enforce these laws against private sector establishments if the Central Government itself doesn't pay the wages, the Provident Fund dues and so on? The Central Government would have no *locus standi* really to raise issues in relation to violation of these various Acts by the private sector.

There is a tendency, which is implicit in the statement of the hon. Minister, and that is, that these public sector units should try to pay themselves. Apart from the fact that the public sector units belong to the Central Government, another question is that there are certain conventions in which our Government is a party. For example, I don't know whether the hon. Minister, who is new to his job, has read all the ILO documents or the documents of the International Labour Court.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): But he has been an old trade union leader.

DR. BIPLAP DASGUPTA: Then, he must be reading these. There are 174 conventions signed under ILO and there are 181 recommendations between 1919 and 1983. I have been told that many of these conventions have not been signed by India. I would like to know this. That is unfortunate. If that is the case, then the Governments which were there earlier, cannot avoid the responsibility. But the Government which is there now, has also to say whether it is prepared to sign all the ILO conventions regarding its attitude towards labour. For example, in the Philadelphia Convention of 1944, it was very categorically stated that labour is not a commodity; you can talk, about a market for potatoes, a market for onions, but you cannot talk about a market for labour because labour deals with human beings. Labour is not a commodity like potato or onion. That is very clearly stated in the Philadelphia Convention of 1944, which is respected by all the Governments, by labour and management all over the world. At least that is what is expected of them. The Philadelphia Convention also mentioned that all human beings, irrespective of caste, creed or sex,

have the right to pursue both their material well-being and their spiritual development, in conditions of freedom and dignity, economic security and equal opportunity. It further said, "It is the responsibility of the International Labour Organisation to examine and consider all international economic and financial policies and measures in the light of the fundamental objectives". Now, why am I raising this issue? There is a view prevalent in this country that you leave everything to the market, where the forces of demand and supply would decide what the wage should be and that this is not the responsibility of the Government. If that is the view taken, then this can be a World Bank view, this can be an International Monetary Fund view and this can be a WTO view, but this is certainly not the view of the International Labour Organisation. The International Labour Organisation is much older than either the World Bank or IMF or WTO as almost all the countries in the world are its members. Here I see certain contradictions. There is pressure, I know, on this Government to dilute the labour laws because they think if labour laws are not diluted, there will not be sufficient investment. On the other hand, these very organisations are telling us that you should stick to certain labour standards and give sufficient wages so that you don't get cheap labour. Then your things become more competitive than the goods of the western countries. This is the contradiction in the attitude of the World Trade Organisation or IMF or the World Bank on this issue of labour. On the one hand, they are asking us to dilute the labour laws, on the other hand, they are asking for labour standards in the meetings of WTO, in the ministerial meetings and all that. This is an issue which has to be taken up very, very seriously.

Sir, there are one or two other points which I would like to make before I finish.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Please be brief.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Yes, I am trying to be very brief. That is why I mentioned that I will just take one or two other points—I don't want to give a big speech. One is the question of why we are concerned so much about wage payment. Now, if we say it should be done by the market, it is very ominous. I know a number of companies which are under the Central Government or are supported by the Central Government which have been asked to reduce their establishment expenditure. Only the other day I heard that the Jute Corporation of India has been asked to cut down its expenditure by 25 per cent. That would mean, they will have to reduce their work-force. They have already closed down a large number of purchasing centres. The implications of this should also be discussed. While the pressure is coming, where would they go? There is no increase in the formal sector employment; there is stagnation in the economy; the industry is doing very badly. In this situation, formal sector employment is not growing, either in the public sector or in the private sector. On the other hand, migrants are coming from rural areas. Many of these migrants are coming because over the last seven, eight or nine years, despite very good harvests, actually agriculture is not doing very well. So, many people are coming from the villages to the towns and within the towns those who are already in employment are not getting their salaries. So, in this very serious situation, what is happening in this. The informal sector is acting as a kind of natural safety net. If somebody is having no employment, having no money, he is borrowing some money from a money-lender on a daily basis, selling potatoes, onions and lemons on the streets. And this is the employment which is going on, according to estimates — I can give the estimates for the last few years, but I am not going into it. This kind of informal sector employment is growing, but the organised sector employment, both in the public sector and the private sector has gone down very sharply since the introduction

of the structural adjustments by the World Bank.

Lastly, Sir, I would raise a very important issue which is not usually taken up. This is my very last point. It is about wage disparity. It is very much linked to the question of wages, whatever minimum wages and other wages we think of. Under the pressure of the World Bank of IMF and all that, to carry out globalisation, we have allowed multinational companies to come into our country. The salary these multinationals are paying to their managers is peanuts compared to what they give to their own people in their own country. But, those peanuts are very large nuts for us. For example, now I understand that in most of the large industries, in the private sector, non-multinational private sector, they pay a salary of something like three lakhs or four lakhs rupees to a good manager and that is in addition to other perks, like accommodation, car, membership in the exclusive clubs. This is available to management in a large number of Indian companies. What does the man on the shop-floor get? He gets Rs. 3,000 or Rs. 4,000. What is the ratio between the two? 1:100. The ratio between the maximum and the minimum is 1:100. What is this ratio in the case of developed countries, in England? It is 1:30. So, we have a ratio of the maximum and the minimum of 1:100, but even in the most developed countries, like England and America, it is 1:30. In East Asia it is 1:10. Can we sustain this 1:100? We cannot sustain. There is bound to be labour unrest. We talk about incentives to management. But, who turns the wheels? The workers on the shop-floor are turning the wheels. He will ask his legitimate right: "If I am getting Rs. 3000-4000 giving all my labour, all my sweat and all my blood, here is this man, the manager, who is getting a hundred times more than I am getting!"

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): You are addressing the other Das Gupta. Please address the House.

DR. BIPLAB DASGUPTA: In any case, this question is very important. It relates to the influence of globalisation, the distortion coming into our economy in terms of wages and salaries, because multi-national are paying high wages, so our Indian companies are being forced to pay high salaries to the management but none is giving anything similar to salary given to the wrokers. Whatever job people may do, they are not getting the payment for that too, which is a matter of shame. It should be recognised by us. Only yesterday in this House, some of the Members were very agitated that our own salaries are small and our own salary should be...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Why bring in that? You have made your point.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Sir, it is relevant. I feel, while we consider our own salaries, we should think of those Indians who are doing manual work, who are really turning the wheels of industry. What incentives do they have? What do they get? What are they supposed to get? Are they getting it? These are very important issues which cannot be evaded by the Parliament of India. Sir, I have raised a number of very important issues. My other colleagues also probably would raise some other issues. I hope, the Minister of Labour, a labour leader himself, will try to answer some of the questions. But, I see difficulties because other Labour Ministers faced the same difficulties. Whenever I asked something of Sangmaji or of Mr. Arunachalam, what was the answer? "Why do you harass me? Talk to the Finance Minister." That is the typical answer of the Labour Minister. "Why do you harass me; talk to the Finance Minister." I am sure, this Minister is also going to give the same answer. The Finance Minister should have been here for that reason. He should have been here, should have

listened to the debate, should have given his reply because at the end of the day, the money has to come from the Central Budget which is to be allocated by the Finance Ministry. The Government as a whole has to take the responsibility to ensure the minimum duty of the Government as a Member of the ILO, that is, to give wages for which people have worked and you have no right to deny payment to the workforce in our country, which is due to them for four to fourteen months. It is a matter of shame for all of us. I hope, the Minister, when he answers this question, will take these into account. Thank you.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Sir, we are here not to expect a charity for the workers. This Calling Attention has been tabled by my friend along with many of us, not to claim charity for the workers. The problems of workers have always become secondary in this House. But, the question is, Sir, can the economy be revived? Can the industry be restructured? Can the recession be contained if the working force is treated so shabbily by the Government? Sir, according to me, the statement issued by the hon. Minister is a statement of a bonded ministry. It is not a statement of an independent ministry of the Government of India. This is a bonded ministry that is issuing the statement. The Minister feels shy to state categorically that different departments of the Government of India are in fault and that they are committing breach of Indian law and violation of the law should be treated in the same way as it is treated when it is done by the private sector. He is not here even to admit that the laws are being violated by the Central Government. He is not here to admit that something exemplary must be done to ensure that the illegality comes to an end immediately. He does not have that courage. I do not know whether he has conviction. This is not the way in which the Labour Ministry in this country can and should function. It only indicates how irrelevant the Ministry of Labour has become. His statement is only indicative of the fact how ineffective the operation of law is in this country. It only indicates how fragile is the monitoring system in this country. It is an indication of how alarming is the rise of human distress in the workforce of this country. Sir, it only indicates how callous is the attitude of the Ministry to look after the interests the working people of this country It is extremely unfortunate and unworthy of a person who claims himself to be a trade union leader. This will only create a situation where a definite signal is given that nothing can be done when labour is in jeopardy, where the law will never take its own course. It is extremely unfortunate. I call upon the Government to make its stand clear. The Labour Ministry must make its stand clear on whether it believes that the violation is a criminal violation. If it is a violation for the Bata industry, it is also a violation for the Jessops. If it is a violation for the Reliance, it is also a violation for any other public sector undertaking owned by the Central Government. That clear statement must be made from the Minister who is looking after this department.

Sir, two violations are taking place simultaneously. One is the violation arising out of non-payment of statutory dues and the second violation is the refusal of the Government to accept that violation and allow the law to take its own course. One violation is non-payment and another violation is the way the violation is being condoned. The Law Ministry is condoning one violation and the Ministry of Industry is continuing with impunity, violation of most of the labour laws of the country. Therefore, the Government is in fault on two counts. Sir, the point is, if the labour force is so demoralised, if the labour force is so antagonised, if the labour force appears to be so let down, then how do economic reform, economic advance and technological changes take place? Sir, we are faced with a jobless industrial growth in the country. Only in two years, from

1995 to 1997, the Central Government—owned public sector undertakings have thrown out of job nearly two lakh workers in the country. This is according to a statement made in the conference of ILO by a representative of the Indian team. This is about the public sector. In the private sector, Sir, in Bombay alone, which appears to be a paradise for the private sector—I am not speaking of Calcutta, the shunted—out city and I am speaking of Bombay—the service sector has been responsible for downsizing employment by 25%. I am told, Sir, that in most of the private sector undertakings, bipartite agreements are being violated, annual increments are not being given and people are only being given marching orders without any notice at all. This is the anarchy and chaos. It is now reigning in the labour market of the country. Who is the villain of this? The villain of this is the Government of India. Sir, if the Government of India as an employer or public sector undertaking as an employer is allowed to implement a policy of hire and fire, can there be economic revival?

My friend, Mr. Dasgupta has been saying that we had been repeatedly raising this issue when Mr. Narasimha Rao was the Prime Minister. We had been repeatedly raising this issue when Mr. Deve Gowda and Mr. Gujral were in power and we seek to raise this issue when Mr. Vajpayee is in power. It appears to be a unique continuation of the same policy. Allocations have been made in the Budget. If allocation has been made in the Budget and the Budget is passed, why are payments not being made to workers for whom the default continues for more than a year? In one signle unit of West Bengal, Tea Trading Corporation, workers are not being paid wages for nine months in a situation of runaway inflation, in a situation of economic stagnation, in a situation of jobless conditions for many of the employees! How do we expect them to carry on? It is a matter to be realised by the rulers of the country. It is not a question of trade unions. It is a question of human rights; it is a question of human distress; it is a question of how responsive the Government is; it is a question of how callous the policy of the Government is. I have only one question to put to the hon. Minister. I would like to know whether he is going to preside over the liquidation of the Labour Ministry. It is the end of the day if rules are not being observed, if defaults continue unabated and if the Government is allowed to commit violation of law with impunity and give the same signal to the private sector. We would like to know whether the Minister is going to take an exemplary action to ensure that the payment will be made within the shortest possible time. Will he make this commitment? Is he in a position to impress upon his colleagues? Is he in a position to take this issue to the Cabinet? Is he in a position to fight on this issue within the Government itself? Where is the *bona fides* of the Minister? He stands not only completely isolated but as an accused. The Labour Minister stands as an accused. He is accused of complicity because it appears that the Labour Ministry is acting in tandem with other Departments of the Government who have been violating law. Therefore, I would like to know whether he is ready to pronounce here and now in the Parliament that no further violation will be tolerated. I would like to know whether he will see to it that the Labour Ministry goes to court and makes a complaint against the different Departments of the Government on the issue of non-payment of the Provident Fund, on the issue of non-payment of bonus, on the issue of non-payment of wages and on the issue of other labour laws of the country. ...*(Interruptions)*... I am coming to that. The Labour Ministry can always complain. He passes on the buck to the State Governments. So ignorant should not have been a labour leader; so ignorant should not have been the Labour Minister! Sir, according to

law a complaint has to be lodged by the Provident Fund Department. According to law, a complaint has to be lodged by the ESI Corporation. I would like to ask on how many occasions complaints have been lodged in West Bengal against the jute barons and on how many occasions he has sent his officers to see as to how the Provident Fund organisation is functioning. What is the default? Sir, the default is of Rs. 500 crores. The poor workers in the jute industry, who live in the Northern part of the country, are not able to get it even after five years of their retirement. There are a number of closed units. The Ministry does not have enough evidence to show in how many cases the Provident Fund has not been paid. There is no evidence. There is no log book. There are no books of accounts. Sir, the whole this is not only anarchic but is free-for-all. It is free-for-all for the Labour Ministry and it is free-for-all for the private sector. It is very difficult to stand this situation of total deprivation of the human beings of this country. Sir, it is very difficult. In Parliament we become restive when a particular Governor acts in a different way in Goa. There may be reasons to be restive. Can the Parliament not become restive in the same way when millions of workers are being treated in this way? What is the situation? Sir, 90 per cent of the workers of the country are in the unorganised sector. There is no law for them. Government after Government have refused to enact a law for the agricultural workers of this country. There was a National Com mission instituted ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: In reply to a question, they stated that they are not the exploited sections of the society. ...*(Interruptions)*...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: He is substantiating my charge.

Sir, Shri Rajiv Gandhi, when he was the Prime Minister, appointed a National Commission for Rural Labour.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Please wind up.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I am winding up. I was a Member of that Commission. That Commission had made a recommendation. That recommendation was not implemented by Mr. Narasimha Raoji. After that, a number of Commissions were set up and everywhere the uniform conclusion was that there should be a low for the agricultural workers. None of the Governments, not excluding the Government of Mr. Deve Gowda and not excluding the Government of Mr. Gujral, had implemented it. Therefore, we have no law for the 90% of workers. We have no minimum wages for the 90% of workers. We have no social security for the 90% of workers and for the rest 10% of the workers the laws are ineffective. Then, what is the conclusion? The conclusion is, the Government does not have a responsibility towards its own labour force.

Sir, I will put my last question to the hon. Labour Minister. The question is, do you believe that you have a responsibility towards the work-force? If you believe that you have a responsibility, you have to speak in a clear language. You have to give us plain facts. You have to give your commitment. You have to say that this is being done. Without any commitment, your statement becomes absolutely insignificant. Sir, we want something concrete from him. We want a commitment from the Government and we wanted to know from the present Government—the Government says that it is a Government of a different character—how different the Government is, at least, with regard to the laws concerning the labour of the country? Thank you.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am grateful to you for having given me an opportunity to speak on an important issue that is affecting the work-force in the Indian subcontinent. It is not a new issue arising now. It is a long-standing

issue. Sir, often, it has been raised in this august House and assurances also given by the Treasury Benches and never implemented. Therefore, what I feel is, now it has become a recurring problem. First, the Government should know what are the reasons for this type of pendency. The Government should know as to how the dues have accumulated. Number two is, the consequences of this accumulation. And thirdly, how are we going to remedy the situation. Sir, any Labour Commissioner can call any entrepreneur or industrialist even for a conciliatory meeting. The Commissioner has got the authority to summon anybody, either labour union leaders or entrepreneurs. Suppose an entrepreneur refuses to comply with the summons issued by the Labour Commissioner, the punishment is Rs. 25 or Rs. 50. Suppose an entrepreneur does not comply with the summons issued, how much has he to pay? He, by paying only a paltry sum of Rs. 25 or 50, can escape from the summons. For example, the statement has said about the inspections carried out. In the first paragraph, under 'Inspections carried out', it says, "The Enforcement Officers of the Central Industrial Relations Machinery (CIRM) in respect of Central sphere establishments shows that during 1997, 6,393 inspections were carried out; 64,941 cases of irregularity were detected; 1,693 prosecutions were launched and 1,414 convictions were obtained." What about the remaining cases of irregularities? At the same time, in the next paragraph regarding the collections it is said that such and such amount is pending, how much money they have collected, etc. The amount to be collected is a very small percentage of the total amount. That is what they are stating. But, in this paragraph, they have not mentioned about the fate of the remaining cases detected by the Government. It has left them scot-free. In the Labour Commission, when they are not able to penalise people who violate the law, I feel, there is a lacuna in the Act

12. Noon

itself. Then, there is a lacuna in the Act itself. When he summons any entrepreneur or industrialist, and he disobeys, we must see that he is penalised. The only thing one has to do is to see whether the error occurred or it was a mistake committed. Error naturally occurs, mistake is wantonly committed. If it is wantonly committed, then there should be a penalty.

Then, for getting rehabilitation fund, the condition is that the total emoluments of the workers should not exceed Rs. 1500/- per month. Suppose he is getting Rs. 1600/- per month, he would not get rehabilitation fund. For example, in one textile mill, which was closed and after three years when workers approached for rehabilitation relief, twelve of them denied of it because their total emoluments were Rs. 1601.80 per month. If it had been Rs. 1599/- per month, they would have got Rs. 80,000 or Rs. 90,000 as rehabilitation fund. While, in respect of Bonus Act, this limit is Rs. 2,400/-, why do they want to apply two different yardsticks for the welfare of the same labour community? I do not understand this.

In the same way, another important thing, which is also very dangerous, is 10 per cent of the provident fund can be taken away and utilised by the industrialists. Out of Rs. 65,000 crores, it comes to about Rs. 650 crores. It is not going to make any difference whether it is 10 per cent or 5 per cent. That is immaterial. But, in principle, I oppose this move. That is number one. Secondly, when the liberalisation started, they said that disinvestment will take place only to the extent of 24 per cent of the total share capital. Then, it has gone up to 49 per cent. 51 per cent will be with us. Now, what is being said is that except for the core sector, they will allow disinvestment up to 74 per cent. It will come up to 99 per cent within a year or two. It means within a quinquennium, the entire provident fund amount will be used by the private entrepreneurs. But, what is wrong if private entrepreneurs are interested in utilising this money as a running capital, provided that benefit of utilisation comes

to labourers. But what is happening is, they are utilising this amount in the real estate business because they consider this as a more profitable businees. They will see that the industry is closed and they will convert the same property into real estate. Thus, the benefit of the money which has been saved by the workers out of their earnings, which they get by toiling from dawn to dusk, goes to the private entrepreneurs. Moreover, how are we going to calculate this profit? After five years it is going to be more. Sir, same thing will also come after a quinquennium. Some other Member will speak about it. At that time it will become a *fait accompli*, and you will say, we have already given it. What have we to do? It will become a *fait accompli*. Before you convert it into a *fait accompli, ab initio* I would request that this should be stopped. This taking away of 10 per cent from the provident fund should be stopped.

Thirdly, from different accounts, how much balance do the entrepreneurs and the industrialists owe to the Government? They have not mentioned it. Another thing is, suppose from the EPF Account, they are paying 12+12, out of that an Industry can apply for exemption and they can keep that as trust fund. They can utilize that amount, which means they can draw money from the trust itself. There is a representative from the labour side also. If the representative from the labour side is not a person who really represents the labour, then it will be siphoned off by the private industrialists. That is number one. Secondly, even if the labour representative works for the labour, in spite of that, the amount that they are keeping as a deposit in the trust, can be mortgaged as a security and they can get a loan from a bank and utilise it, and when the unit becomes sick, the amount will be taken away by the bank. Then, what I feel is again the people will come...*(Interruptions)*....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Mr. Virumbi, please conclude now.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Yes, Sir, I will conclude. Therefore, the time at my disposal is not adequate. I feel and I hope that the Government will also be sensitive about the issue which we have raised, and that the hon. Minister will go through the grievances which we have raised here and see that those are rectified. With these words, I conclude. Thank you.

श्री बंगारू लक्ष्मण (गुजरात): उपसभाध्यक्ष जी, मजदूरों के स्टैटुटरी ड्यूज का कई इस्टैब्लिशमेंट, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी इस्टैब्लिशमेंट हैं, में पेमेंट नहीं हो रहा है, इस विषय को लेकर मजदूर बहुत आन्दोलित हो रहे हैं और यह विषय — जैसा कहा गया है — इससे पहले भी हम लोगों ने इस सदन में इसकी चर्चा की थी। बहुत बार इस पर चर्चा हो रही है किन्तु जिस ढंग से सरकार को इस विषय में दिलचस्पी लेनी चाहिए थी और सीरियसनैस के साथ इसको पर्स्यू करने की आवश्यकता थी, सरकार कर नहीं पा रही है। सरकार ने यह कहा है कि पेमेंट ऑफ वेजिज़ ऐक्ट राज्य सरकारों की रिसपॉसीबिलिटी है। कुछ जो सैन्ट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक सैक्टर यूनिट्स हैं, उनमें केन्द्र की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है — यह बताया है। आगे यह भी बताया है कि जिनकी तनख्वाह 1600 रुपये से ज्यादा है, वे इसमें कवर नहीं होते। महोदय, आज किसी भी सैंट्रल पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग में मिनिमम सैलरी, मिनिमम वेजिज़ 1600 रुपये है बल्कि उससे ज्यादा ही है। इसका मतलब यह है कि अब पेमेंट ऑफ वेजिज़ ऐक्ट के अन्तर्गत सैंट्रल मशीनरी, लेबर मशीनरी के पास कोई काम नहीं रह गया है। जो सैलरी या स्टैटुटरी ड्यूज़ पे नहीं करते उनके खिलाफ कार्यवाही करने लायक कोई बात नहीं रह गयी है। मेरा अनुरोध यह है कि क्या इस विषय में लेबर मिनिस्टरी ने फिर से विचार किया? इस ऐक्ट को, जो पेमेंट ऑफ वेजिज़ ऐक्ट 1936 है क्या उसमें परिवर्तन करने, उसमें अमेंडमेंट लाकर उसको सबके लिए लागू करने की दृष्टि से सरकार प्रयास करेगी या नहीं। यह आवश्यक है। महोदय, आप हर चीज के लिए यह कहें कि इसके लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं और राज्य सरकारों के लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह इस विषय में कोई कार्यवाही करे। लेकिन उपसभाध्यक्ष जी, यह सारे जो कानून बनाए गये हैं, यह केन्द्र सरकार ने, इस संसद ने बनाए हैं। इसलिए यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि इन कानूनों पर राज्यों में अमल हो। इसलिए क्या मंत्री महोदय, राज्य

सरकारों के जो लेबर मिनिस्टर हैं, उनको बुलाने की कोशिश करेंगे, उनकी कॉन्फ्रैंस करेंगे और यह बात उनके ध्यान में लाएंगे? यह बहुत आवश्यक है। महोदय, सैंट्रल गवर्नमेंट के ड्यूज के बारे में एक प्रश्न उठा था। हम लोग केन्द्र सरकार की लेबर मिनिस्टरी की स्टैंडिंग कमेटी के टूर पर अहमदाबाद गये हुए थे। वहां एन०टी०सी० मिल्स के चेयरमैन हमारे सामने ऐवीडेंस के लिए उपस्थिति हुए। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ अरैस्ट वारंट जारी हुआ है क्योंकि जो एन०टी०सी० के स्टेटुटरी ड्यूज़ हैं, उनकी पेमेंट नहीं हुई है। तो लेबर डिपार्टमेंट ने मेरे खिलाफ ऐक्शन इनीशिएट किया है और पुलिस में कम्पलेंट रजिस्टर हुई है और पुलिस से अनुमति मांगकर कि पार्लियामेंटरी कमेटी यहां आ रही है। मैं यहां पर पहुंचा हूं। उपसभाध्यक्ष जी, जैसा कहा गया है कि केवल लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित या लेबर मिनिस्टरी से संबंधित मामला यह नहीं है। निश्चित रूप से यह जो मामला है इसके संबंध में यहां पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट या इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का भी होना आवश्यक है क्योंकि कई चीजों के बारे में ब्यूरो ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजिज वाले गाइडलाइन्स देते रहते हैं। उनकी गाइडलाइन्स पर ही कई बातें यहां पर होती हैं, कई प्रश्न उनकी गाइडलाइन्स के कारण भी उपस्थित होते हैं। जैसे एक प्रश्न पिछले दिनों आया था कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक अण्डर टेकिंग्स के अन्दर कुछ ऐसे एम्पलाईज हैं जिनका पिछले दस साल से कोई वेज रिवीजन नहीं हुआ है, 1993 के बाद उनका वेज रिवीजन नहीं हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनकी जो कम्पनीज हैं वह बीआईएफआर को रेफर हो गई हैं और उनका रिवाइवल पैकेज तैयार नहीं है। इस कारण से उनके बारे में यहां से सरकुलर गया है कि जब तक रिवाइवल पैकेज नहीं होगा और एप्रूबल नहीं होगा तब तक उनके वेज रिवीजन को नहीं लिया जाएगा। उसी इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर दो प्रकार के हैं। कुछ मजदूर ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल पैटर्न आफ डीए से संबंधित हैं उनके ऊपर तो वह सरकुलर लागू हो रहा है और जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट डीए से संबंधित लोग हैं उनके लिए यह लागू नहीं है। रिवाइवल पैकेज हो या न हो, बीआईएफआर में हो, सिक हो, क्लोज हो लेकिन उनकी सैलरीज, उनके वेजज रिवाइज किए जा रहे हैं। अब स्थिति यह हो गई है कि एक जो सीनियर वर्कर है उसकी तनख्वाह तो दो हजार, ढाई हजार रुपये रह गई है लेकिन उससे जूनियर वर्कर की जो कि सेन्ट्रल डीए पैटर्न से कवर होता है उसकी सैलरीज आठ हजार, नौ हजार, दस हजार रुपये हो गई है। इस प्रकार की एक विडम्बना है, इस प्रकार की एक कांट्राडिक्टरी पोजीशन पैदा हो गई है। इसीलिए यह मामला केवल मिनिस्ट्री आफ लेबर से संबंधित नहीं है, यह मामला उद्योग मंत्रालय से भी संबंधित है। जैसा कि कहा गया है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी यहां होना चाहिए। निश्चित रुप से जब तक वह क्लीयरेंस नहीं देंगे तब तक ये बातें नहीं हो पाती हैं। यहां पर बार-बार यह विषय आ रहा है कि जो स्टेट्युचरीज ड्यूज हैं, उनका पेमेंट अनेक कारणों से रूकता है। अब कई हमारी पब्लिक सैक्टर की यूनिट्स हैं जिनमें मजदूरों को चार-चार महीने के बाद सैलरीज दी जाती है। इस बजट

(उपसभापति महोदया पीठासीन हुईं।)

में भी प्रॉवीजन हुआ है कि इस प्रकार की जो फैक्टरीज बन्द हैं उनके मजदूरों को सैलरीज दी जाएं। आपको मालूम है कि इस सदन के अन्दर आईडीपीएल का इश्यु, फर्टीलाइजर कारपोरेशन का इश्यु और कई इंडस्ट्रीज इश्यु, उनकी लेबर के जो ड्यूज हैं उन मामलों में कई बार इस सदन के अन्दर चर्चा हुई है।

जहां पर स्टेट्युटरीज ड्यूज पेमेंट के लिए सरकार थोड़ा सा बजट का प्रावधान करती है वहां हर वक्त यह हो रहा है कि एडहाक बेसिस पर इस समस्या को देखने की कोशिश हो रही है, इसकी जड़ में जाकर इसका समाधान निकालने की कोशिश नहीं हो रही है। अगर हमारी सिक पब्लिक सैक्टर यूनिट्स को रिवाइव करने की बात है, हो सकता है, सम्भव है कि जैसे आईडीपीएल कई बार यहां चर्चा में आया, आईडीपीएल के पास आज 50 परसेंट 3,500 करोड़ रुपया है लेकिन उसके जो स्टेट्युटरीज ड्यूज हैं वह लगभग 50 से 60 करोड़ से ज्यादा के नहीं हैं। पिछले तीस महीने से फैक्टरी बन्द है, सारी मशीनरीज रूग्ण होती जा रही हैं, जंक लगता जा रहा है। हमारे पास इंडस्ट्रीज में जो अप टू डेट टेक्नालाजी एवेलेबल है वह मल्टीनेशनल्स कम्पनीज के पास भी नहीं है। जो मशीनरीज आईडीपीएल के पास हैं वह मल्टीनेशनल कम्पनीज के पास भी नहीं है। उसका रिवाइवल पैकेज अभी तक किसी न किसी कारण से तैयार नहीं हुआ है। कभी ग्रुप आफ सेक्रेटरीज की कमेटी बन जाती है, कभी ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की कमेटी बन जाती है लेकिन उस पर एक फाइनल फैसला नहीं होता है। इस कारण से 30 महीने से फैक्टरीज बन्द हैं। एडहाक बेसिस पर हर सरकार को कुछ न कुछ प्रावधान उनकी सैलरीज का करना पड़ता है। इसलिए अगर सारे ही डिपार्टमेंट के लोग और सारे ही संबंधित मंत्री यहां पर होते तो इस पर विचार ठीक तरह से हो जाता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि केन्द्र सरकार इसको केवल

राज्य सरकार पर न छोड़े और फिर मंत्री जी ने प्रावीडेंट फंड एरियर्स और दूसरे एरियर्स के बारे में कहा है। उनके पास बड़ी डेडिकेटेड मशीनरी है, मंत्री जी मैं इस विषय में आपसे सहमत नहीं हूं। हमने देखा है कि कई कई राज्यों के अंदर जहां वसूली करनी चाहिए, जहां कार्य हो सकता है, वहां पर कार्य नहीं हो रहा है। इसका भी कारण है। हमने जब ई०एस०आई० और पी०एफ० वालों से पूछा तो वे कहते हैं कि कानून के हिसाब से ई०पी०एफ० के हिसाब से हमें जो स्ट्रैथ चाहिए, जो कर्मचारी चाहिए वे सेंक्शन नहीं होते। जहां सेंक्शन मिलती भी है तो उनकी नियुक्ति किसी न किसी कारण से रुक जाती है। इसलिए मशीनरी को टोन-अप करना आवश्यक है और इसके लिए आप सब संबंधित लोगों की बैठक बुलाइए और इस पर उचित रूप से विचार कर यह व्यवस्था करिए कि मजदूरों को, उनके जो स्टेट्यूटरी ड्यूज हैं, वे समय पर उनको मिलें। आखिर इसमें मजदूरों की कोई गलती नहीं है। यह सारी जो बात हुई है वह मैनेजमेंट और पालिसी लेवल पर जो चेजेंज आई है, उसके कारण यह सारी दिक्कतें इसमें पैदा हो गई हैं। इसलिए इसका पनिशमेंट मजदूरों को नहीं दिया जाना चाहिए। इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now the list of speakers is over. I have some other names. यह जो नाम एक्स्ट्रा भेजे गए हैं I will ask the Members just to put questions. बैरागी जी कालिंग अटेंशन पर डिबेट नहीं होती। जिन के नाम थे, चार नाम, उनका हो गया है। आपको बुला रहे हैं, एज आउटसाइडर। आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, सवाल पूछ लीजिए। बहुत संक्षेप में पूछ लीजिए।

श्री बाल कवि बैरागी (मध्य प्रदेश): मैडम बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने किसी भी निमित्त कम से कम किसी 'बैरागी' को इस मामले में खड़ा कर दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदया श्रम मंत्री जी के वक्तव्य से अपने आप ही कुछ सवाल उद्भूत होते हैं और उन सवालों को यहां रखना मैं प्रासंगिक समझता हूं। मेरा विश्वास है कि श्रम मंत्री जी मेरे प्रश्नों का नोटिस लेंगे और जब वे उत्तर दें तो उन पर जरा विचार करेंगे।

आप अपने वक्तव्य का तीसरा पृष्ठ देखें। इसमें बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपने दी है। पहले तो मुझे आपसे इसका उत्तर चाहिए। आप "अ" "ब" और "स" में इसको बांट सकते हैं। आपने खुद लिखा है कि:

> "कर्मकारों की सांविधिक बकाया राशियों की समाप्ति के लिए यह मंत्रालय भरसक प्रयास कर रहा है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में इन बकाया राशियों का भुगतान न किए जाने के संबंध में एक नोट तैयार किया था जिस पर 19.7.97 को मंत्रिमंडल की बैठक में विचार-विमर्श किया गया। इस मुद्दे पर समग्र रूप से विचार करने के लिए मंत्रिमंडल ने कृषि मंत्री की अध्यक्षता में वित्त मंत्री और श्रम राज्य मंत्री को सदस्यों के रूप में शामिल कर एक मंत्रियों का ग्रुप नियुक्त करने का निर्णय लिया। मंत्री दल ने 29.8.97 को बैठक की किन्तु कोई इस मुद्दे पर कोई अंतिम कार्यनीति तैयार नहीं की जा सकी क्योंकि मंत्रिमंडल को भंग कर दिया गया था। तब से श्रम मंत्रालय कामगारों के पिछले बकाये की स्थिति का प्रबोधन करता रहा है तथा संबद्ध प्रशासनिक विभागों से इन बकायों के जल्द से जल्द परिसमापन हेतु प्रयास करने का अनुरोध करता रहा है।"

मेरा श्रम मंत्री जी से पहला प्रश्न यह है कि आपको इस पद पर बैठे हुए, इस सरकार को आए हुए चार महीने-साढ़े चार महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक गत वर्ष की एक समिति आप नहीं बना पाए। उस समिति को जो काम सौंपा जाना था वह समिति आप न बनाकर पुराने नियमों से कामकाज चला रहे हैं, पुराने आधार पर काम चला रहे हैं और यही कारण है कि आपके कामकाज में संगति नहीं बैठ पा रही है। तो क्या श्रम मंत्री महोदय प्रधानमंत्री जी से या संबंधित मंत्रालयों से बातचीत करके इस स्थिति को पैदा करेंगे कि मंत्रियों के ग्रुप की एक समिति बन सके और उसके ऊपर क्या आप कोई नीति निर्णय लेंगे जिससे उसके ऊपर दायित्व डाला जा सके? मेरे प्रश्न का यह पहला भाग है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है और अभी बंगारू लक्ष्मण साहब भी इसकी चर्चा कर रहे थे, मैं उसके साथ इसको जोड़कर अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर आपसे चाहूंगा। आपने खुद लिखा है कि क्या कारण है, क्यों हमारे मजदूरों की समस्याओं का निपटारा नहीं होता? क्यों नहीं उनकी चुकाई होती? क्या कारण हो जाता है? उसका एक बहुत बड़ा कारण इस वक्तव्य में ही निहित है, यह गर्भस्थ जो समस्या है इसको आप देख लेंगे तो आपका समाधान स्वयं ही हो जाएगा। आपने लिखा है कि मुख्यालय में केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अपने 25 अधिकारी है और

इस क्षेत्र में 235 अधिकारी है जो पूरे देश में फैले आंचलिक, क्षेत्रीय और इकाई स्तर के प्रतिष्ठानों में नियुक्त हैं। माननीय उपसभापति महोदया, जिन संजाल के पास, जिस इनफ्रास्ट्रक्चर के पास सारे देश के मजदूरों के लिए काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी पूरे नहीं होंगे वहां पर हमेशा कारखाने के मजदूरों की पिटाई होती होगी और मालिक लोग सदैव सुरक्षित रहेंगे, मजदूरों की जेब पर डाका पड़ता रहेगा। जैसे कि बिप्लब दासगुप्त जी और गुरुदास दासगुप्त जी ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं इस बात को अपनी तरफ से जोड़ता हूं। जैसे उदाहरण के लिए आप अपने वक्तव्य के पृष्ठ 2 को देखें जिसमें आपने यह कहा है जहां तक कर्मचारी भविष्य निधि चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई का संबंध है, 1470 चूककर्ता नियोक्ताओं के बैंक खाते और 354 चूककर्ताओं की चल और अचल सम्पत्तियों की कुर्की की गई है। इसके अतिरिक्त 550 मामलों में गिरफ्तारी से संबंधित कार्रवाई शुरू की गई और 8 मामलों में वास्तव में गिरफ्तारी की गई। बाकी लोगों के बारे में जो कार्रवाई है, उसके बारे में आपने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है और खासकर के इस पूरे वक्तव्य में जो तीन-चार पृष्ठ का है, पूरा वक्तव्य आप देखें तो श्रम मंत्री महोदय मैं आपसे विशेष निवेदन करूंगा कि आपने जो कुछ हिसाब-किताब पेश किया है, वह दिसम्बर, 1997 तक का है और बहुत अधिक आप आ गये तो आपने थोड़ा कहीं आंशिक तौर से हिसाब पेश किया है 31 मार्च, 1998 तक का। अटल जी की सरकार, आपकी यह सरकार 19 मार्च को पदों पर आई। 19 मार्च से ले कर साढ़े चार महीने का कहीं भी, किसी भी तरह का हिसाब देने की कृपा आपने नहीं की है। यह भी आपकी चूक है। मैं मानता हूं कुछ न कुछ छिपाना चाहते हैं। मेरा एक प्रश्न आपसे और है। बहुत सामान्य सा प्रश्न है। आपने खुद ही लिखा है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के संबंध में 1997-98 के दौरान, कुल 75985 निरीक्षण किये गये जिनमें से 50501 मामलों में चूक पायी गई। 2395 मामलों में अभियोजन कार्रवाई की गई और इस संबंध में 37.3 करोड़ रुपये की राशि वसूली की गई। मेरा सीधा प्रश्न है बाकी 47206 मामलों में जो आपको चूक मिली, उसके बारे में आपने क्या निर्णय किया/क्या फैसला किया? आप किस को बचाना चाहते हैं? मजदूरों के मूल्यों पर किस को संरक्षण देना चाहते हैं? यह आपके अपने वक्तव्य से उद्भूत प्रश्न है। मैं छोटा सा प्रश्न और करूंगा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। आप अपने वक्तव्य की विसंगतियों को देखेंगे तो पता चल जाएगा। आपसे मैंने इसी सत्र में एक प्रश्न किया था। आपके अन्तर्गत वह सारा का सारा है। आपने गये 18-20 सालों से आपकी ट्रेड यूनियन ने जो भी ज्ञापन सरकार को दिये थे, क्या आपने उनको पढ़ा है? जो ज्ञापन आपने अपने हाथों से पहले वाली सरकारों को दिये हैं, उन ज्ञापनों का, उन मुद्दों का आप क्या करेंगे? आपने स्वयं द्वारा दिये गए ज्ञापनों को भूल कर जैसे गुरुदास दासगुप्ता जी ने भी कहा क्या आप एक अलग चरित्र की सरकार हैं? मेरा गुरुदास दासगुप्ता जी से विशेष निवेदन है, मैं लम्बी चौड़ी बात नहीं करता लेकिन अलग चरित्र की आप कोई कल्पना मत कीजियेगा आदरणीय गुप्ता जी क्योंकि मैं कह सकता हूं—

इन्हें खुशबू से निस्बत है, इन्हें गुलशन से क्या मतलब,
कोई माली बताएगा, चमन कैसे संवरता है।

आपका इससे लेना-देना क्या है? आपको तो खुशबू से निस्बत है। कुर्सी पर आना था, आ गए लेकिन अपने द्वारा दिये गए ज्ञापनों को, मेमोरेंडमों को भूल कर बैठे हैं। मैं पूछूं आपसे छोटा सा प्रश्न? आप बड़ी-बड़ी फैक्टरियों में ठेकेदारी की मजदूरी प्रथा कब खत्म करेंगे? आपके यहां पर दो तरह के मजदूर हैं। एक तरफ मजदूर हैं मालिकों के और दूसरी तरफ हैं ठेकेदारों के। आप किस को बचाना चाहते हैं? जब ठेके पर मजदूर दिलवाएंगे तो उत्तरदायी ठेकेदार हो जाता है, मालिक नहीं रह पाता है और आप मजदूरों को ठेकेदारों की दया पर छोड़ देते हैं। आप कब इस परम्परा को खत्म करेंगे? आपके हाथ में झण्डे होते थे, आप सड़कों पर चलते थे और आपने ज्ञापन दिये थे, आज आप पद पर बैठने के बाद आप अपने ही मेमोरेंडमों की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखते। इसलिए मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुल मिलाकर इन प्रश्नों के उत्तर यहां उद्भूत हैं। वे होने चाहिये। मैं उस एरिया के बारे में स्पेसेफिक सवाल करना चाहता हूं मंदसौर जिला जो आपके आसपास है, आपकी जन्म भूमि के आसपास है जो स्लेट पेंसिल के कर्मचारी, कर्मकारी काम करते हैं, क्या कभी उनके बारे में आपने सोचा है? सिलीकोसिस के खिलाफ आपका कोई अभियान है? ललितपुर की खदानों में काम करने वाले मजदूरों, पत्थर तोड़ने वालों के फेफड़े पापड़ होते चले जा रहे हैं, उनके बारे में आपके पास कोई नीति है? आप कब तक श्रम के आधार पर और अपने मेमोरेंडम की इज्जत रखते हुए इस देश और प्रदेशों में मजदूरों को इस तरह से शोषण पर लगाते रहेंगे? इन चार महीनों का भी आपने हिसाब देना था।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं मैडम और मुझे विश्वास है कि अपने प्रबोधन में, अपने वक्तव्य में श्रम मंत्री जी मेरी बातों का विचार करते हुए अपनी बात कहने की कृपा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI GURUDAS DASGUPTTA: Madam, the hon. Finance Minister may kindly be requested to come and make a statement because everything concerned him, not the Labour Minister.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, everything concerns the Finance Minister. Even salaries and allowances of Members. Then I think we will have a permanent Finance Minister sitting here all the time. But that is not possible.

श्री अवनि राय (पश्चिमी बंगाल): मैडम, आपको धन्यवाद।

माननीय श्रम मंत्री ने यहां पर जो विवृत रखा है उससे हमें थोड़ी सी आशा थी क्योंकि इससे पहले हमें यह जानकारी है कि ये श्रम मंत्री जी श्रम आंदोलन करते थे और मजदूरों के नेताओं के साथ जुड़े हुए थे। आश्चर्य की बात यह है कि जब इन्होंने स्टेटमेंट दिया और उसमें जिस ढंग से लिखा है उससे इन्होंने मजदूरों की जो असल स्थिति है उसको नकार दिया है। जैसे 1599 जिसकी तनख्वाह है उसके नीचे जो हैं वे मजदूर हैं और उससे ऊपर मजदूर नहीं हैं—यह जानते हुए भी इस मुद्दे को लेकर इतने दिन लड़ाई करने के बाद जब मंत्रिमंडल में बैठ गए तो इन्होंने इसका ही जिक्र किया। इसका मतलब है इतना जानते हुए भी उन्होंने वही लिखा है कि जिसकी 1600 नहीं है। तो पेमेंट आफ वेजेज एक्ट, 1936 जिसमें हमने इतने दिन मांग की कि इसमें सुधार होना चाहिए, लेकिन श्रम मंत्री जी ने मंत्रिमंडल में बैठने के बाद वही जिक्र किया जो पहली सरकार ने किया था। इन्होंने इस विवृत में जितने सारे कानूनों की बात की है अगर हम ढंग से देखें तो हर कानून के खिलाफ उन्होंने एक बार बहुत तेजी से आवाज उठायी थी। लेकिन मंत्रिमंडल में बैठने के बाद उन्होंने उन्हीं कानूनों को सामने रखा। अपने विवृत को अगर वे खुद पहले एक बार पढ़ लेते कि जहां-जहां इन्होंने लिखा इतने सारा है और अपने कन्धों पर ये बोझ लेते हैं..

उपसभापति: आप कृपया सवाल पूछ लीजिए। भाषण नहीं।

श्री अवनि राय: इसमें इन्होंने इतने सारे केसेज डालने के बाद कहा कि 8 व्यक्ति गिरफ्तार किए। बाकी के लिए क्या किया, यह इन्होंने स्पष्ट नहीं बताया। इन्होंने यह नहीं बताया कि कौन-कौन से कारखानों या कौन-कौन सी मिनिस्ट्री में वेतन लब्ध नहीं हुआ है। यह भी नहीं बताया कि भविष्य निधि की जो राशि उन्होंने बतायी वह इतने केसेज में कहां लब्ध हुई, कहां नहीं हुई। पूरी लिस्ट, पूरी जानकारी उनको देनी चाहिए थी कि कहां क्या है, कहां नहीं है। हमारा कहना यह है कि मंत्री जी जब भी कोई स्टेटमेंट दें तो स्टेटमेंट में पूरी जानकारी अगर सदन को दें तो सबके लिए अच्छा होगा ताकि यह मालूम हो कि मंत्री महोदय को कम से कम इतना मालूम है कि इस चीज की तलाश कर ली है। इतना ही मुझे कहना है।

उपसभापति: थैंक्यू। सनातन बिसि। आप भी इनसे क्यू ले लीजिए।

श्री सनातन बिसि (उड़ीसा): मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपने क्वेश्चन पूछने के लिए बोला है मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूं।

मैडम, इस हाउस में एक क्वेश्चन मैंने पूछा था आउटस्टैंडिंग ड्यूज के बारे में और उस समय मंत्री जी ने रिप्लाई दिया था कि ग्रुप आफ मिनिस्टर्स बैठ कर तय कर रहे हैं। 29 अगस्त को उनकी मीटिंग हुई थी। 29 अगस्त, 1997 के बाद क्या हुआ अभी तक यह मंत्री जी को बोलना चाहिए था। लेकिन मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में उसके बारे में कुछ नहीं बोला है।

नम्बर दो, मेरा प्रश्न यह है कि एनुअल रिपोर्ट; 1997-98 की उन्हीं की मिनिस्ट्री की एट पेज 24 है जिसमें कि काफी सारे नान-पेमेंट के केसज के बारे में लिखा गया है। उसकी डिटेल विवरणी उसमें है। मैडम, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसमें क्यों देरी हो रही है?

तीन नम्बर प्रश्न मेरा यह है मैडम कि हमारे उड़ीसा में प्राविडेंट फंड का काफी सारा पैसा बाकी रहता है। उसका अमाउंट 8 करोड़ है। अभी तक क्या चीज की गयी है उसको रिकवर करने के लिए यही मेरे तीन प्रश्न है मैडम। थैंक्यू।

SHRI R.K. KUMAR (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairman, I fully share the anxiety and concern of the House expressed through this call-attention motion on the situtation prevalent in regard to non-compliance with labour laws. This is not the first time that we are discussing the issue. As a matter of fact, last year, the same was discussed in great

detail. Whether it is the responsiblity of the State Government or not, what is the role of the Central Government? I find there is no sense of urgency in this matter and it is looked upon as a legal violation. In my opinion, it should be seen as a humane problem. While the promoters get all the facilities like backward area subsidy, loan reschedulement, interest reduction, waiver, sales-tax exemption, interest-free loan, tax benefits, duty exemption, etc., etc., the labour does not get anything. The labour is not responsible for the companies becoming sick. My question to the hon. Minister would be this. We would all recall and agree, may be, 25 years back, the industrial sickness was due to the industrial unrest in the country in certain blocks like West Bengal and Kerala. But in the last 25 years, it has not been so. It was so 25 years back, not so now. *(Interruption)*. You do not have to substantiate me. About 25 years back, the industrial unrest in Kerala and West Bengal was the cause of sickness; but not any more. Now, the reason for sickness is mismanagement, diversion of funds by management or plain, pure, Government policy. It is not the fault of the labour, it is not the fault of the workers that they are in this situation. So, there is an urgency in this matter. The role of the BIFR has to be seen. When a compnay goes to the BIFR, the banks make sacrifices, the institutions make sacrifices, even the labour is made to sacrifice, but not the promoter. I have not come across a single promoter who has sold his BMW or Benz or his property to pay money to the workers. It is the workers who sacrifices. This requires the attention of the Government. In this, it is shameful that many public sector companies are the violators of the labour laws. It is because different public sector undertakings come under different administrative controls. of course, there is the ever-pervading Finance Ministry. I would appeal to the Labour Minister that his Ministry should act as a coordinator between the concerned administrative Ministry and the Finance Ministry, an independent coordinator and see that the woes of labour are attented to.

Lastly, I would like to point out one thing to the Labour Minister. No doubt it has been stated in the 1997-98 Budget that Rs. 1196 crores is the provisions made to meet the requirement of sick public undertakings towards the payment of wages and statutory dues to various public sector undertakings. *Out of this* how much did actuatlly reach the public sector units and how much was disbused and how much was surrendered? In the Public Accounts Committee, we have come across large-scale surrenders of provisions made in the Budget.

Madam, before I conclude, I would like to take the case of two units. One is Dunlop. We have talked about it. Dunlop workers have not been paid for six months. It is said that history repeats. I would say men make the same mistakes and the Chhabrias commit the same fraud. In Genelec, in regard to three years' balance-sheets, they went before the BIFR and said that the profits were not profits, they were really losses. In Dunlop, even in the first six months, they disclosed profits and in the next six months, they had stated losses. The company has gone to the BIFR and the workers have not been paid.

The second most important case is that of 'Patriot' workers. It was founded by late Aruna Asaf Ali. In the last two years, some private management, some private individuals, have taken over very valuable properties of the company. For two years, the wages of workers and journalists have not been paid. I appeal to the Labour Minister to attend to all these and see that no more provision is made and the provisions made actually reached they needy units for payment to the workers. Thank you very much.

श्री रामदेव भंडारी (बिहार): धन्यवाद, महोदया। मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में श्रम कानूनों के उल्लंघन के बारे में चिंता व्यक्त की है और उन के देयों से संबंधित मुख्य-मुख्य अधिनियमों की भी चर्चा की है। महोदया, मजदूर दो तरह के होते हैं-एक संगठित क्षेत्र के और

दूसरे असंगठित क्षेत्र के। संगठित क्षेत्र के मजदूरों का एक संगठन होता है, उन की एक यूनियन होती है और वह यूनियन किसी-न-किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी होती है। इसलिए उन की समस्याओं के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज भी सवाल उठाती है और अपने संगठन के माध्यम से वह सरकार से अपने हक की लड़ाई लड़ती है। मगर असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं, उन का न तो कोई संगठन होता है और न उन के लिए कोई लड़ाई लड़ने वाला होता है।

महोदया, इसी दिल्ली में लाखों, करोड़ों की संख्या में बिहार, उत्तर प्रदेश और इस देश के कई राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों से जहां कि उन को रोजगार नहीं मिलता है, मजदूर काम करने आते हैं। मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि उन के लिए कोई श्रम कानून नहीं है, कोई लेबर लॉज नहीं हैं। उन को मिनिमम वेजेज नहीं मिलते हैं और पी०एफ० या ग्रेचुटी का तो सवाल ही नहीं उठता है। उन की नौकरी की भी कोई गारंटी नहीं होती है और समय पर वेतन भुगतान भी नहीं किया जाता है। उन से 6 महीने या सालभर काम कराया जाता है और जब वह अपनी मजदूरी मांगते हैं तो उन को फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है, लेकिन उन का दुख सुनने वाला कोई नहीं होता है। मैडम, इस तरह के मजदूर लाखों, करोड़ों की संख्या में दिल्ली में और देश के बड़े-बड़े शहरों में हैं। सब से अधिक दुख की बात यह है कि जब काम करते-करते उन में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन का दाह-संस्कार करने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं होती है। उस मृतक के गांव के या पड़ोस के लोग उस का दाह-संस्कर करते हैं। मैडम, मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि साल या महीने में मेरे और मेरे जैसे कई संसद सदस्यों के पास ऐसी समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन हम उन के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ मंत्री को लिखते हैं या दिल्ली के श्रम मंत्री को लिखते हैं, लेकिन इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं होती है। अभी भाई बैरागी जी भी कह रहे हैं, ये मजदूर ठेकेदारों के माध्यम से मजूदरी करते हैं और यह ठेकेदारों पर निर्भर करता है कि उन की मजदूरी का समय पर भुगतान हो या न हो। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस तरह के मजदूरों के लिए उन के पास क्या योजना है? उन मजदूरों का जो श्रम हित है, उस की रक्षा कैसे हो, उन का समय पर भुगतान कैसे हो और जो उन के लिए कानून हैं वह कैसे लागू हों, दिल्ली में और बड़े-बड़े शहरों में जो काम करने वाले मजदूर हैं, उन के लिए मंत्री जी के पास क्या कानून है और उस कानून को लागू करने के लिए क्या व्यवस्था है? मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस विषय में प्रकाश डालें।

SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA (Uttar Pradesh): Madam, I would like to know one thing from the hon. Minister.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There are many questions. If we allow this, then we won't be able to adjourn for lunch.

SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: Madam, I will take one minutus . I would like to have one clarification from the hon. Minister. What kind of example is the Government setting by not paying the public sector dues, both statutory dues and wages? What kind of message is the Government sending to the private sector if they are not even paying the dues of the government employees? That was what I wanted to know.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Dipankar Mukherjee, is your question also related to the statutory dues?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Madam, we are discussing the question of payment of statutory dues to the public sector workers. What has the Minister stated in his statement which he has made in this House? He has stated, and I quote: "Enforcement of the provisions of the Payment of Wages Act, under the Central public sector establishments, is the responsibility of the concerned State Governments where they are situtated." This is what the Minister has said. Madam, on 20th of July, 1998 this month, while replying to the discussion on the Appropriation Bill, the hon. Finance Minister, whose absence Mr. Gurudas Das Gupta is feeling, had said here before you, Madam, and I quote from page 29 of the proceedings.

He says:

"Madam, Deputy Chairperson, as far as the statutory dues are concerned, we are aware of the fact that a number of units have violated the law

of the land, and we are not responsible for it. We were not in power at that time. There was another Government in power, which you were supporting."

—he says it to Mr. Gurudas Das Gupta—

"If they have allowed the laws of the land to be violated, then, there it is. But I can assure you from my side..."

—he assures—

"I will tell you that wherever such a violation is taking place, we shall correct the stituation. We shall come down heavily on anyone who is responsible for such violations."

Mr. Gurudas Das Gupta asks "Is this an assurance?"

He says:

"This is an assurance. If I am speaking in the House, it is an assurance. I am conscious of this. I have been in the House for a long time to know what constitutes an assurance and what does not."

Madam, he assures that the Government will come down heavily on anyone who violates the laws in the units. The Labour Minister comes and tells us, "Enforcement of Payment of Wages Act is the duty of the State Governments." Then who is correct? Then what are we discussing here? The Parliament is being taken for a ride, Madam. The Parliament is being taken for a ride. Is the assurance of the hon. Finance Minister overriding his statement? ... *(Interruptions)* ...

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: अभी दो दिन पहले?

श्री दीपांकर मुखर्जी: नहीं, 20 तारीख को, 11 दिन पहले। ...(**व्यवधान**)...

What is this figure of Rs. 709 cores? ... *(interruptions)* ... I will give the papers to you, Madam. We have been raising this issue for the last four years. I am telling this in the interest of the workers. It is not only the workers, पार्लियामेंट का मखौल किया जा रहा है, I am sorry, if I have used some unparliamentary words. This is too much. That time you said, "The work is not there." Who is using this platform to do something else? That time a signal was being given: "The earlier Government was wrong." "And I will strongly condemn; I will come down heavily on any one who is responsible for such violations!" Madam, that is a public sector violation....*(interruptions)*....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let the Minister answer.....*(interruptions)*....

SHRI DIPANKER MUKHERJEE: Do you stand by it? If you stand by it, please withdraw the stand?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ....*(interruptions)*....अभी बैठिए ....*(interruptions)*....Order, please ....*(interruptions)*....Order.

श्री नीलोत्पल बसु: कोई एक मंत्री कुछ बोलता है, दूसरा मंत्री दूसरी बात बोलता है।....(**व्यवधान**)....

उपसभापति: मंत्री जी, आप बोलिए।

डा॰ सत्यनारायण जटिया: माननीय उपसभापति जी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से, देश में जो श्रम कानून बनाए गए हैं उन श्रम कानूनों के चलते हुए जो विसंगतियां सदस्यों को....(**व्यवधान**)....

श्री गुरुदास दासगुप्त: वाएलेशन आसंगतियां हुआ।....(**व्यवधान**)....

डा॰ सत्यनारायण जटिया: विसंगतियां बोल रहा हूं, मैं। आपका संदर्भ जरूर ले लूंगा।....(**व्यवधान**)....

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is his language. You can't object to it.

श्री गुरुदास दासगुप्त: यह आसंगतियां क्या हैं?....(**व्यवधान**)....

डा॰ सत्यनारायण जटिया: मैं विसंगतियां बोल रहा हूं।....(**व्यवधान**)....न तुम खाली, न हम खाली, पर हमें तो बात कहनी है।....(**व्यवधान**)....

श्री बालकवि बैरागी: मैडम, गुरुदास दासगुप्त जी और सत्यनारायण जटिया जी, दोनों अभी जो बातें कर रहे हैं, यह अपने आप में एक विसंगति है।

डा॰ सत्यनारायण जटिया: आपके साथ बात करूं तो संगत तो हो जाएगी, न? और, बैरागी जी की संगत तो होना अच्छी बात है।

उपसभापति जी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस तरह के श्रम कानून बने हुए हैं, जिनका कि उल्लेख मैंने अपने सारे वक्तव्य में, स्टेटमेंट में किया है, उसमें मजदूरी संदाय अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, उपदान संदाय अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, बोनस संदाय अधिनियम, इस प्रकार के जो — एक्ट हैं, इनके अंतर्गत काम करने का मौका मिल रहा है। इसमें हमारा जो सेंट्रल स्फीयर है, जिसमें कि रेलवे, माइन्स क्वेरीज, पोर्टस, डाक, इंसोरेन्स कंपनी, एअर ट्रांसपोर्ट, स्पेस, टेली-कम्युनिकेशन, ऑयल फील्डस इत्यादि, इनकी बातों पर यहां से देखरेख की जा सकती है और बाकी के जो हमारे पास कानून और प्रावधान उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से और राज्य सरकारों की सहायता से, जो निरीक्षण और परीक्षण की प्रणाली है उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है और उसी पर से इन सारी बातों का नियंत्रण करने का, इन सारी बातों को ठीक प्रकार से सुचारित रूप से चलाने का उपाय किया जाता है।

महोदया, इन प्रश्नों के माध्यम से अनेक प्रकार के संशय, शंकाएं और जिस प्रकार से कार्य हो रहा है उसमें सुधार करने के भी सुझाव महत्वपूर्ण रूप से यहां आए हैं। इस कॉलिंग अटेंशन में जिन माननीय सदस्यों के नाम रहे थे डा० दासगुप्त जी, गुरुदास दासगुप्त जी, विरुम्बी जी, बंगारू लक्ष्मण जी और अन्य सदस्यों ने जो अपने आपको एसोसिएट करके यहां प्रश्न रखे हैं, वह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, किन्तु जो जानकारी जिस तरह की बात का कार्यकरण हम कानूनों के माध्यम से कर रहे हैं, वह जो भी संभव, जो भी संभव नहीं, जो कानून की मर्यादा है उन मर्यादाओं का पालन करते हुए सब किया जा रहा है। कहा जा रहा था कि स्टेटमेंट में एक विसंगति नजर आ रही थी, जिसमें पहले पृष्ठ में हमने कहा था कि 464 करोड़ की जो राशि थी, वह एक जगह 645 रुपए का क्या हो गया। तो इसका मतलब यह है कि बाकी की वसूली का जो काम है वह निरंतर है, जारी रहता है और इसी के कारण समय-समय पर इन आंकड़ों में अंतर आता है। जो लेटेस्ट आंकड़े उपलब्ध थे, वह जानकारी मैंने यहां देने का काम किया है।

प्रोविडेंट फंड के बारे में जो राशि बकाया है, उसके बारे में भी जो मैंने आंकड़े और जानकारी देने का काम किया था, वह 1.4.97 के आधार पर 467 करोड़ रुपए थी और उसका भी हमने स्पलिट-अप, ब्रेक-अप दिया हुआ है। 1997-98 के दौरान कुल वसूल होने वाली धनराशि 657.61 करोड़ थी, जिसमें 464 करोड़ शामिल है, जमा 193.16 करोड़ है, यह सब मिलाकर 657.61 करोड़ की राशि थी, जिसमें से 193.64 करोड़ रुपए 1997-98 में वसूल किए गए हैं। 1997-98 में वसूल की जानी वाली जो बकाया राशि रह गई है, उसके बारे में मैंने आंकड़े दिए हैं। इसी प्रकार से जो कानून हैं, उसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम है, उसमें जो दरख्वास्त प्राप्त हुई थी, 1997 के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं, वह 4,776 थीं और उनमें से जिनपर कुछ हो गया है वह 1,114 हैं, जिनको डिस्पोज़ किया गया है, निकाला गया है, वह 1990 है और जो पेंडिंग हैं, वे 3900 है। तो ये सारी कार्रवाइयां औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। ई०एस०आई० का जो कार्यकरण है, उसके बारे में भी कार्रवाई की जा रही है और आप जानते हैं कि बी०एफ०आई०आर० में अगर कोई प्रकरण चला जाता है तो फिर कानूनी दृष्टि से बहुत सारी बातों को करना संभव नहीं होता।....(व्यवधान)....

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Madam, I am sorry, the Minister is not saying when the wages will be paid. (*Interruptions*)...We would like to know when the wages will be paid. (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him finish. It is not proper. (*Interruptions*)...

SHRI GURUDAS DASGUPTA: We would like to know when the wages will be paid. (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him complete. (*Interruptions*)...Let him complete.(*Interruptions*)...

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Let him answer or let him say when he is going to pay the wages. (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Gurudasji, let him complete. (*Interruptions*)...Please sit down. (*Interruptions*)...

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: मैडम, यह हर बार बीच में खड़े हो जाते हैं, यह क्या है? ....(व्यवधान)....

SHRI NILOTPAL BASU: If he is not going to answer this question, what is the point in debating this issue here?

(*Interruptions*)...He is not going to answer any of the questions. (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. Let him complete. (*Interruptions*)...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Madam, the Minister has to respound to it. It is a pertinent question. (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Minister will first complete his speech. Let him complete. (*Interruptions*)...

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार): मैडम, मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं बहस का, लेकिन उनका जवाब जो प्रश्न आए हैं, उनके ऊपर आधारित होना चाहिए। ....(**व्यवधान**)....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him complete. (*Interruptions*)...

श्रीमती कमला सिन्हा: जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर आने चाहिए। ....(**व्यवधान**)....जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनका जवाब आना चाहिए। ....(**व्यवधान**)....

श्री नीलोत्पल बसु: सवाल का जवाब दीजिए। ....(**व्यवधान**)....

उपसभापति: पहले भाषण खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद यह बात कहिए। ....(**व्यवधान**)....

श्री जीवन राय: जवाब देने की जरूरत ही नहीं क्योंकि जवाब इनके पास है ही नहीं। ....(**व्यवधान**)....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Still he is on his legs. (*Interruptions*)...No. I am not allowing. (*Interruptions*)...I am not allowing anybody. (*Interruptions*)...If you don't want, I will adjourn the House for lunch. (*Interruptions*)...Now I will adjourn the House for lunch and finish it. (*Interruptions*)....I think some very bad precedents are taking place in the House. The Minister is still on his legs. He is still answering. He is replying to the questions. At the end of his reply, if you feel that he has not answered certain questions you can raise those issues. How do you know or presume that he is not going to answer that? Let him complete. Don't interrupt him like this. Otherwise, nothing will come out. (*Interruptions*)...Whatever it is, let him.

डा० सत्यनारायण जटिया: मैं बता रहा था, उपसभापति जी, कि ई०एस०आई० की 1997-98 की जो बकाया राशि है, वह 381.01 करोड़ है। इस राशि की वसूली फिलहाल नहीं हो सकती, जिसके कि कई कारण हैं -- कोर्ट में जो लम्बित मामले हैं उनके कारण 66.70 करोड़, जो लिक्विडेशन में चले गए हैं उनके कारण 13.62 करोड़, बी०आई०एल फ०आर० में जाने के कारण जिस राशि की वसूली नहीं हो पा रही है वह 115.39 करोड़ है और यह सब कुछ मिलाकर 209.68 करोड़ की राशि है जिसकी वसूली उपरोक्त कारणों से संभव नहीं हो पा रही है। वसूली योग्य राशि, जो 171.33 करोड़ है, उस पर कार्रवाई की जा रही है।

ई०एस०आई० ऐक्ट के अंतर्गत जो केस कोर्ट में दर्ज किए गए हैं, उनकी जानकारी मैं दे रहा हूं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि कुल मिलाकर यह जो कानूनी प्रक्रिया है, वह अपनी जगह काम कर रही है और जो केस कोर्ट में दर्ज किए गए हैं ई०एस०आई० ऐक्ट के अंतर्गत वो 2,227 हैं, आई०पी०सी० की धारा 406 और409 के अंतर्गत दर्ज़ किए गए केस 168 हैं। ई०एस०आई० के अंतर्गत 47 केसेज में फैसले हो गए हैं, आई०पी०सी० के अंतर्गत जिसमें फैसले हो गए हैं, ऐसे 47 केसेज हैं। ई०एस०आई० के अंतर्गत जिसमें जुर्माना हुआ है वे 753 हैं, आई०पी०सी० के अंतर्गत ऐसे कैसेज 25 हैं और जिन केसेज में सज़ा हुई है, ई०एस०आई० के अंतर्गत ऐसे केसेज 209 हैं और आई०पी०सी० के अंतर्गत 2 प्रकरणों में सज़ा हुई है।

महोदया, इस प्रकार से कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं हो रही है। जहां तक वेज की सीमा कम होने का सवाल है, वेजेज ऐक्ट में पेमेंट की जो बात कही गई है, निश्चित रूप से उस बात से मैं सहमत हूं कि 1599 रुपए की सीमा के कारण जो नए-नए वेज रिवीजन हुए हैं, उस सीमा के कारण लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हम अपनी मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं और शीघ्र ही हम इसे नए संशाधनों के साथ लाएंगे जिससे अधिकाधिक लोग इससे फायदा उठा सकें।

महोदया, ये जो संस्थान है, जिनका हम पेमेंट आॅफ वेजेज ऐक्ट के अंतर्गत निरीक्षण कर रहे हैं और जो कानून उपलब्ध हैं, उनके अंतर्गत इन संस्थानों के 1996 में 7,223 निरीक्षण हमने किए हैं जिनमें अनियमितताएं पाई गई है और पिछली अनियमितताओं को मिलाकर वह संख्या 73,064 हो गई है और अमेंडमेंट करके वह 78,450 हो गई है। जिनमें ऐक्शन लिया गया है और प्रोसीक्यूशन हुआ है, वह संख्या 2,429 है।

उपसभापति: मंत्री जी, ये आंकड़े तो आपने दे दिए हैं। लेकिन सवाल है कि हमारे कुछ सदस्यों ने इस विषय में ऐसे सवाल पूछे हैं जो स्पैसिफिक है। जैसे बंगारू लक्ष्मण जी ने आई०डी०पी०एल० की बात उठाई थी। एक और सदस्य ने डनलप की बात उठाई थी। और भी दूसरे सदस्यों ने जनरल बात की थी कि जो पब्लिक सैक्टर हैं या हमारी दूसरी आर्गनाइजेशंस है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, उनमें भी उल्लंघन हुए हैं लाॅक-अप हो गए हैं और कर्मकारों को वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसे सवालों का स्पैसिफिक जवाब आप दे दीजिए। जो पिछला आपका ब्यौरा है, वह ठीक है।

आप चाहें तो उसको टेबल पर रख सकते हैं, मैं आपको अनुमति दे दूंगी। लेकिन ये जो 2-4 खास सवाल है , उनका जवाब आप दे दीजिए।

डा० सत्यनारायण जटिया: मैंने बताया है कि जो बजट भाषण हुआ था, उसमें कर्मकारों को जो पेमेंट करनी चाहिए, उनके लिए प्रोविजन किया हुआ है और इसके लिए इस बार हमने 1,482 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पिछली बार यह प्रावधान 1,196 करोड़ रुपए था। इसको बढ़ाकर इस बार हमने 1,482 करोड़ रुपए किया है। इसका मतलब है कि पैसा तो है और अतिरिक्त पैसा इसी के लिए दिया गया है। मैंने अपना स्टेटमेंट पढ़कर बताया था कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की रूग्ण कंपनियों को गैर-योजनागत ऋण देती रही है और ताकि वे कर्मचारियों को कठिनाइयों से बचाने के लिए उन्हें मजदूरी और वेतन भुगतान के लिए संसाधन की कमी को पूरा कर सकें। जो पैसा यहां उपलब्ध कराया गया है, उसका उपभोग इसी काम के लिए किया जाना है लेकिन उस पैसे का उपयोग संबंधित विभाग, मंत्रालय या जो फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, उन्हीं को करना है .... **(व्यवधान)**

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, is this an answer? *(Interruptions)*. It this an answer? *((Interruptions)*. Lakhs of workers have not been paid wages. *(Interruptions)*. He is not giving any assurance. How long will he take to make payments? *(Interruptions)*.

श्री नीलोत्पल बसु: 5 महीने की तनख्वाह बाकी है...**(व्यवधान)**

उपसभापति: एक मिनट, बैठिए...**(व्यवधान)** नोलोत्पल बसु जी, बैठ जाइए...**(व्यवधान)**

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: मैडम, ये सारे मामले इनके समय से चले आ रहे हैं। ये 2 महीने में पैसा कैसे बांट सकते हैं...**(व्यवधान)** How can he make payments?

श्री नीलोत्पल बसु: मंत्री जी जो जवाब देना पड़ेगा...**(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. *(Interruptions)*.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Madam, the Minister has not responded to our points. We whould like to have an assurance from the hon. Minister that their grievances would be addressed and they would be paid wages. We are not accusing the Minister. We only want an assurance from the hon. Minister.

डा० सत्यनारायण जटिया: उपसभापति महोदया, जैसा कि मैंने बताया है कि पैसा तो हमारे पास पड़ा हुआ है और बजट में जो प्रावधान किया गया है, वह बढ़ाकर किया गया है, इसका पूरा प्रबंध किया गया है। इस प्रबंध के बावजूद यह वेतन का न मिलना और जो अन्य सारी बातें हो रही है, उसकी पूर्ति इसी में से की जानी है और अपेक्षा की जानी चाहिए कि इसकी पूर्ति की जाएगी। जहां तक बंगारू लक्ष्मण जी ने जो सवाल उठाया है कि ...**(व्यवधान)**।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: How long will the hunger wait?

श्री रामदास अग्रवाल: प्रोविजन किया हुआ है तो पेमेंट भी होगा....**(व्यवधान)**

श्री गुरूदास दासगुप्त: कब होगा?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. *(Interruptions)*.

श्री राज बब्बर (उत्तर प्रदेश) महोदया, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि पैसा है तो वे 7 दिन या 10 दिन के अंदर पैसा देने का वायदा क्यों नहीं करते... **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Leader of the House wants to say something. *(Interruptions)* Sit down, please. *(Interruptions)*.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: He should understand how the workers are suffering. *(Interruptions)*

सदन के नेता (श्री सिकन्दर बख्त): सदर साहिबा, यह आपने फरमाया कि यहां पर मेरी गैर मौजूदगी में कुछ यूनिट का स्पेसिफिकली नाम लेकर कहा गया था, डनलप के बारे में मुझे चिट्ठी भी मिली है। मैंने इस हाउस में कुछ कहा भी है, उस पर हम कायम है। मै सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि—

"कौन मझधार में जाए सरे साहिल बैठे,
दूर से डूबने वालों का तमाशा देखें।"

आसान है। वैसे बहुत मुश्किल है, मैंने यह कहा कि कभी डनलप को डूबने नहीं दिया जाएगा। मुश्किलात में....**(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: Listen. *(Interruptions)* Listen.

श्री सिकन्दर बख्त: मैं आपको इत्तला देने के लिए बात कर रहा हूं बीच में बोलेंगे तो बैठ जाऊंगा। मै आपकी मुश्किल हल कर रहा हूं। यह सिलसिला जो कि इण्डस्ट्रीज हैं उन सिक इण्डस्ट्रीज से हमारा जहनी ताल्लुक बहुत बड़ा है। लेकिन हम उस तालाब में डूबे हुए हैं कि किस तरीके से उनको हल करे। सिर्फ यह मुतालिबा करना कि वर्कर्स को तनख्वाह पहुंची है कि या नहीं पहुंची है, कहीं न कहीं से पैसा इकट्ठा करके ले जा रहे है। वर्कर्स को पहुंचा रहे हैं, उसमें आप लोगों को हमारा मददगार होना चाहिए, क्योंकि यह सूरते हाल हमको विरसे में मिली है। उसके बावजूद हम किसी वर्कर को निकालना चाहते नहीं है। अब तक कोई एक भी यूनिट को सिवाए इसके कि हाईकोर्ट ने एक यूनिट को बाइंड-अप करने का हुक्म दिया है, उसके अलावा किसी को अब तक बाईड-अप किया नहीं जा रहा है। हर पॉसिबिलिटी को जिस तरीके से...**(व्यवधान)**

SHRIMATI KAMLA SINHA: This is not the issue. ...*(interruptions)*....

श्री सिकन्दर बख्त: मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे कुछ नहीं कहना है।

I don't want to say anything. *(Interruptions)* I don't want to say anything. You don't have the patience to listen. You love 68 per copy

क्योंकि किस्सा यह है कि आप समझते हैं कि आप मजदूरों की बात करके यहां अपना फर्ज अदा कर देते हैं। आपको इसके अलावा कुछ करना नहीं है। दिक्कत यह है कि आपको मजदूरों की हमदर्दी में ....**(व्यवधान)**

DR. BIPLAB DASGUPTA: The debate is not on sick industries.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You should not argu like this with the Leader of the House. *(Interruptions)* Let him finish.

श्री सिकन्दर बख्त: आप सिर्फ उनकी तरफ से नारा मत लगाइए, मजदूरों की हमदर्दी की कोशिश सरकार कर रही है।....**(व्यवधान)**

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा: कुछ नहीं कर रही है....**(व्यवधान)**

श्री सिकन्दर बख्त: मजदूरों को हम ज़ाया नहीं करना चाहते। ....**(व्यवधान)** हम कर रहे हैं। तुम सिर्फ जुवानी जमा खर्च करते हो, कुछ नहीं करना चाहते।....**(व्यवधान)** जुवानी खर्च करने का फैशन बना लिया है।....**(व्यवधान)**

†[نیتا سدن شری سکندر بخت: صدر
صاحبہ، یہ آپ نے فرمایا کہ یہاں پر میری
غیر موجودگی میں کچھ یونٹ کا اسپیسفکلی
نام لیکر کہا گیا تھا، ڈنلپ کے بارے میں
مجھے چٹھی بھی ملی ہے - میں نے اس

†[ ]Transilteration in Arabic Script

ھاؤس میں کچھ کہا بھی ہے، اس پر
ہم قائم ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا
ہوں کہ:

کون منجدھار میں جائے سرِ ساحل بیٹھے
دور سے ڈوبنے والوں کا تماشہ دیکھے

آسان ہیں ویسے بہت مشکلات ہیں،
میں نے یہ کہا ہے کہ کسی یونٹ کو ڈوبنے
نہیں دیا جائیگا۔ مشکلات ہیں۔]

THE DEPUTY CHAIRMAN: Listen. *(Interruptions)* Listen.

†[شری سکندر بخت: میں آپ کو
اطلاع دینے کے لئے بات کر رہا ہوں،
بیچ میں بولیں گے تو بیٹھ جاؤنگا۔
میں آپکی مشکلات حل کر رہا ہوں۔
یہ سلسلہ جو سک انڈسٹریز ہیں ان
سک انڈسٹریز سے ہمارا ذہنی تعلق
بہت بڑا ہے۔ لیکن ہم اس تالاب میں
ڈوبے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو
حل کریں۔ صرف یہ مطالبہ کرنا کہ ورکرس
کو تنخواہ پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، کہیں
نہ کہیں سے پیسہ اکٹھا کر کے لے جا رہے
ہیں، اور ورکرس کو پہنچا رہے ہیں۔ اس میں
آپ لوگوں کو ہمارا مددگار ہونا چاہئے،
کیونکہ یہ صورتحال ہم کو ورثے میں ملی
ہے، اسکے باوجود ہم کسی ورکر کو نکالنا
چاہتے نہیں ہیں۔ اب تک کوئی ایک
بھی یونٹ کو سوائے اسکے کہ ہائی کورٹ
نے ایک یونٹ کو وائنڈ اپ کرنے کا
حکم دیا ہے، اس کے علاوہ کسی کو اب
تک وائنڈ اپ کیا نہیں جا رہا ہے۔
ہاریو سیبیلیٹی کو جس طریقے سے۔۔۔
۔۔۔ مداخلت۔۔۔]

SHRIMATI KAMLA SINHA: This is not the issue. *(Interruptions)*

†[شری سکندر بخت: مجھے کچھ نہ کہنا
ہے، مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔]

I don't want to say anything. *(Interruptions)* I don't want to say anything. You don't have the patience to listen. You love

(Interruptions)

کیونکہ قصہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ
آ مزدوروں کی بات کر کے یہاں اپنا فرض
ادا کر دیتے ہیں۔ آپ کو اس کے علاوہ
کچھ کرنا نہیں ہے۔ دقت یہ ہے کہ آپکو
مزدوروں کی ہمدردی میں۔۔۔ "مداخلت"]

DR. BIPLAB DASGUPTA: The debate is not on sick industries.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You should not argu like this with the Leader of the House. *(Interruptions)* Let him finish.

†[ ]Transilteration in Arabic Script

†[شری سکندر بخت: آپ صرف ان کی طرف سے نعرہ مت لگائیے۔ مزدوروں کی ہمدردی کی کوشش سرکار کر رہی ہے... "مداخلت"...

شری ناگیندر ناتھ اوجھا: کچھ نہیں کر رہی ہے... "مداخلت"...

شری سکندر بخت: مزدوروں کو ہم ضائع نہیں کرنا چاہتے... "مداخلت" ہم کر رہے ہیں۔ تم صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہو، کچھ نہیں کرنا چاہتے... "مداخلت"... زبانی جمع خرچ کرنے کا فیشن بنا لیا ہے... "مداخلت"...]

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Madam, our request is that the Government's sympathy should be translated into action. That is what we want. *(Interruptions)* We want an assurance from the Government. *(Interruptions)*

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, he doesn't even know what the debate... *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Biplab babu, please sit down. *(Interruptions)* Please. *(Interruptions)*

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, Sikander Bakhtji should know it. He is not listening to the debate. You should listen to the debate. *(Interruptions)* He doesn't even know what the debate is about. We are talking about non payment of wages. *(Interruptions)*

श्री रामदास अग्रवाल: आपकी सरकार रही, आपने क्या कर दिया....(**व्यवधान**) आपने क्यों नहीं सैटिल करा दिया था सारे मामले को....(**व्यवधान**)

DR. BIPLAB DASGUPTA: The money is there in the Budget. But there are people who are not getting the wages.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, will you please sit down? *(Interruptions)*

श्री रामदास अग्रवाल: सब वर्कर्स को पैसा दिया था....(**व्यवधान**) आप सरकार में थे तो आपने क्या कर दिया था....(**व्यवधान**) हम कोशिश कर रहे हैं देने की, उसके बावजूद आप....(**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Agarwalji, please sit down. *(Interruptions)* Please sit down. *(Interruptions)* I ask Agarwalji to sit down. *(Interruptions)* Please sit down. *(Interruptions)* Biplab Dasgupta. please sit down. *(Interruptions)*

श्री नीलोत्पल बसु: क्यों नहीं मिल रहा है स्ट्रेच्युटरी ड्यूज उनको, क्यों नहीं मिल रहा है। सेलेरी वेजिज उनको...(**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Nilotpal Basu, please sit down. *(Interruptions)* No debate now. Mantriji, please conclude your speech and answer all the questions and queries. If you cannot, then tell them that you will come with all the answers again.

SHRI B.P. SINGHAL: I am on a point of order, madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No point of order. Let him finish first. Let his speech be over.

डा॰ सत्यनारायण जटिया: महोदया, मैं यह बता रहा था कि बंगारू लक्ष्मण जी ने पेमेंट आफ वेजिज एक्ट के अन्तर्गत उसकी सीमा बढ़ाने का जो सुझाव दिया था या जो उन्होंने बात उठाई थी उसकी सीमा बढ़ाने के लिए हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही नए प्रस्ताव के साथ सूचना के लिए हम आने वाले हैं।

[1.00 P.M.]

श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में हमने मिनिमम वेजेज़ के बारे में भी बात की है और उस दृष्टि से अहमदाबाद में वेस्ट ज़ोन के सारे राज्यों के श्रम मंत्रियों को बुला कर इन कानूनों के ठीक प्रकार से प्रभावशाली होने की दृष्टि से उन पर विचार-विमर्श भी किया है। लगातार हमारी यह कोशिश है कि किसी भी तरह से श्रम क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय

†[ ]Transliteration in Arabic Script

परिस्थितियों के कारण जो चुनौती है, उस पर किस प्रकार से पार पाया जाए?

बैरागी जी ने भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने कहा है कि हम ज्ञापन दिया करते थे, उन ज्ञापनों पर आप क्या कर रहे हैं? विशुद्ध रूप से इन सारी बातों का, चूंकि ज्ञापन देने का काम या ट्रेड यूनियन की क्या मुश्किलात है, उनको नज़दीक से देखने का काम मेरा हुआ है इसलिए मैं हरचन्द कोशिश में हूं कि कैसे अपना फर्ज़ निभाया जाए और उसमें मेरी अर्ज़ केवल यह है कि इस मदद को किस प्रकार से जुटाया जाए? अभी माननीय उद्योग मंत्री जी ने जिस तरह से कहा है कि किसी भी कामगार के जो वाजिब हक है, जो कानूनी हक है, उनसे उसको महरूम नहीं किया जाएगा और हमारी हर कोशिश होगी कि उस दृष्टि से हर बात को पूरा करने के लिए हम उस पर पाबंद है।

...(व्यवधान)....

DR. BIPLAB DASGUPTA: Those are all pious statements.

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): मैडम, वेस्ट बंगाल में सबसे कम वेजेज़ हैं। Throughout the country, the wages in West Bengal are the minimum. ...*(Interruptions)*...

DR. BIPLAB DASGUPTA: Who told you? are not the Minister. Where is the information? Give it to me. This is a pious statement. The Minister is not answering the questions which we put.

डॉ॰ सत्यनारायण जटिया: उपसभापति महोदया, जहां तक....

उपसभापति: मंत्री जी, एक बात है। जो मैंने कहा कि कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनका अभी आपके पास जवाब नहीं हो तो आप कृपया हाऊस को आश्वासन दे दीजिए, अभी हाऊस दो-तीन दिन और है, मंडे, ट्यूज़डे है, कि आप उन सवालों के जवाब मालूम करके स्पेसिफिकली दे सकेंगे क्योंकि आपकी बात भी मैंने समझी कि you are concerned about the plight of the workers. The House is also concerned.

कि देश की किसी भी जगह में कम है, वह अच्छी बात नहीं है। अगर वेस्ट बंगाल में कम है, वह भी ठीक नहीं है। दिल्ली में कम है, वह भी अच्छी बात नहीं है। ...(व्यवधान)...

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: दिल्ली में सबसे ज्यादा है।

उपसभापति: सवाल यहां कम का नहीं है। सवाल उनका है जिन्होंने ...(व्यवधान)...

Please, one minute. Be serious about it. सवाल यहां यह है कि जिन लोगों ने काम किया है वर्कर्स ने, कंपनीज़ ने कंपनी बंद कर दी है, बी॰आई॰एफ॰आर॰ में चले गए हैं, उन्होंने जो काम किया हुआ है, उसका वेतन है, वह भी नहीं मिला है, ड्यूज़ है, समस्या वह है। उनकी रोज़ी-रोटी का सवाल है। आप यह स्पेसिफाई करिए...(व्यवधान)... Get the whole thing and come before the House in answer to all these queries. ...*(Interruptions)*...

आप ज़रा चुप रहें। ...(व्यवधान)...

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Madam, I have a pertinent and small question. My question is, the hon. Minister has said how much Budget allocation has been made. I have also listened attentively to the Leader of the House. ...*(Interruptions)*...

श्री ओम प्रकाश कोहली: मंत्री महोदय अपना वक्तव्य पूरा कैसे कर पाएंगे?

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is over now. ...*(Interruptions)*...

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Madam, I have listened to the hon. Leader of the House. The hon. Minister has this notice sufficiently in advance as to what the central question is. I would like to know from the hon. Minister only one thing, not the empty promise. Will the Minister of Labour within a month take all steps to ensure that at least part of the outstanding wages, not full, are paid? Let him answer this query. ...*(Interruptions)*...

श्री बी॰पी॰ सिंघल (उत्तर प्रदेश): मैडम, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपसभापति: आपका, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। बोलिए।

श्री बी॰पी॰ सिंघल: मैडम, मैं 6 जुलाई को इस सदन का सदस्य बना हूं और मैं जब से आया हूं तब से देख रहा हूं....

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just one minute. I am listening to somebody. Can't you see that? I have listened to you for couple of hours. The other Member has also a right to speak.

श्री बी॰पी॰ सिंघल: मैं इस बात को आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं भी कोई भी सदस्य बोल रहा हो, चार-पांच सदस्य यहां पर ऐसे हैं जो अपना हक समझते हैं जब चाहे खड़े हो जाएं और बोलें ...**(व्यवधान)**... अगर इसे नियंत्रण में नहीं रखा गया तो इस राज्य सभा की गरिमा पर आक्षेप आता है।...**(व्यवधान)**...

DR. BIPLAB DASGUPTA: What is this? ...(*Interruptions*)... Madam, is the Minister going to reply? I have a simple point. Madam, you yourself raised the point that either the Minister should reply now or he should tell the House that he will come prepared later and give us the reply. ...(*Interruptions*)... Madam, let him answer that point. ...(*Interruptions*)...

प्रो॰ रामबक्श सिंह वर्मा: हम खड़े होते हैं तो आप नाराज हो जाती हैं। यह हर बार खड़े हो जाते हैं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is the mover of the Calling Attention. (*Interruptions*) He is the mover. (*Interruptions*) Just one second. (*Interruptions*) He is the mover of the Calling Attention. He is saying that as per the direction I have given to the Minister, he wants an assurance of the Minister whether he is going to answer now or he is going to answer later. That is the only question. मंत्री जी, अगर आप बाद में यहां आना चाहें तो आप मंडे या ट्यूज़डे आकर इसका जवाब दे सकते हैं। (*Interruptions*) Let him say.

डा॰ सत्यानारायण जटिया: महोदया, वास्तव में जिस प्रकार के अनेक प्रश्न आए हैं, उनमें से जिन प्रश्नों का समाधान हो सकता है, उसका मैंने यहां जवाब दे दिया है। जो अनुत्तरित प्रश्न रह गये हैं, उसके लिए जवाब देने की दृष्टि से जो अपेक्षा की गयी है, उसके लिए मुझे कोई कठिनाई नहीं है। ...**(व्यवधान)**

DR. BIPLAB DASGUPTA: This cannot be the answer. (*Interruptions*) I protest and I will walk out. (*Interruptions*)

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: यह लोग तो वैसे भी वॉक आउट कर रहे हैं. ...**(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am taking care. (*Interruption*)

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: You have directed, Madam. (*Interruption*) The Chair has directed. (*Interruption*) Further, he said he will reply. Then it is okay. (*Interruption*)

SHRI GURUDAS DASGUPTA: When? When will he give? (*Interruption*)

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: मिस्टर दासगुप्त, ज्यादा नाराज नहीं होते ...**(व्यवधान)**...

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: उन्होंने वैसे ही वॉक आउट करना है, यह जवाब देकर क्या करेंगे? ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let me hear what he says. (*Interruptions*)

डा॰ सत्यनारायण जटिया: माननीय उपसभापति जी, आपने जैसा निर्देश दिया है, उसके अनुसार अगले सप्ताह में जवाब देने के लिए तैयार हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay, he is giving the answer. *(Interruption)*

SHRIMATI KAMLA SINHA: When is he going to give? *(Interruption)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Next week. *(Interruption)*

SHRIMATI KAMLA SINHA: Monday or Tuesday? When? I want a guidance from you, Madam. *(Interruption)* We need guidance from you. *(Interruption)* A direction from you. What is the date? *(Interruption)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Will you please sit down? He said next week. *(Interruption)* I assure you. He said next week. He cannot decide the time. It is for the Business Advisory Committee and the Chairman to decide about the time as to when he can come and at what time he

can come. He cannot take upon himself that of such and such time he would come and answer. Let him come back. *(Interruption)* The matter is over.

डा० सत्यनारायण जटिया: महोदया, मेरा निवेदन है कि इससे अन्य मंत्रालय भी संबद्ध हैं, उनसे भी जानकारी प्राप्त करनी होगी।

RE: ENHANCEMENT IN PAY AND ALLOWANCES TO MEMBERS

SHRI S.B. CHAVAN (Maharashtra): I would like to raise a very important issue whick is agitating the minds of all the hon. Members of both Lok Sabha as well as Rajya Sabha. It is almost more than a year that a unanimous recommendation of the Committee was given to the Government. At one stages, in a meeting, presided over by the Chairman, it was decided that we should be given a definite time limit within which the Government would react to the unanimous recommendation which was given by the Committee, which was specially set up for this purpose. This Committee was unanimous in its recommendation. We have been seeing that for almost one year, practically nothing has been done in the matter. If you have to compare the pay and allowances of the Members of Parliament and Members of Assemblies, a number of Assemblies, I do not think that any Government can possibly think in terms of postponing this issue anymore. The fact is every time they promise something but thereafter nothing is coming forth.

My request will be that this should not depend upon the sweet will of the Government. It should be the responsibility of both, the Chairman as well as the Speaker, to decide about the pay and allowance and other facilities which should be made available to Members. I understand that this will require repeal of the Act but till the repeal is done we should all take a decision. That should be immediately done. The Government should be requested that before the end of the Session, they should come forward with a definite decision on this issue.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): मैडम, यह जो बात चव्हाण साहब ने कही है। इस संबंध में मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। कुछ पेपर्स में कल और परसों यह छपा कि मेम्बर्स कोई इन्कम टैक्स पे नहीं करते। यह जो 1500 रुपये हैं, इन 1500 रुपये में से भी 500 रुपये इन्कम टैक्स में 30 परसेंट के हिसाब से जाते हैं, एक हजार रुपया महीना बचता है। मेम्बर्स को इन्कम टैक्स पे करना चाहिए। इसलिए इन्कम टैक्स की लिमिट से कम पे रखी जाए इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और इसी को ध्यान में रखते हुए पे एंड सैलरी कमेटी ने अपनी रिकमण्डेशन्स दी हैं।

दूसरी बात यह थी कि यह जो राज्य सभा और लोक सभा के साथ लिंक करने की बात है, चव्हाण साहब ने बात कही है इस पर सारा हाउस सहमत है। आप इसको कनवे कर दें, आप इन सेंटीमेंट्स को कनवे कर दें तो ज्यादा अच्छा है।

एक बात इसमें और रह गई है। बिजली और पानी के बारे में अखबारों में कुछ नाम आए हैं, सौ-डेढ़ सौ लोगों के नाम आए हैं। एनडीएमसी ने वह नोटिस दिया था। बिजली और पानी के बिल उनके यहां आए ही नहीं क्योंकि एनडीएमसी का कम्प्युटर फेल हो गया बाद में उसने उन पर पेनल्टी लगा दी यानी हरेएक मेम्बर्स पर 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार रुपये की पेनल्टी लग गई है कि उन्होंने ठीक टाइम पर पेमेन्ट नहीं की। उनके बिल नहीं आए, बिल गलत आए और उनको यह मालूम नहीं था कि कितना फ्री है और कितना फ्री नहीं है। सदस्यों द्वारा बिजली और पानी के बिल समय पर जमा न करने के कारण जो पेनल्टी लगी हुई है उसको वेव आफ किया जाए और इसको भी पे एंड सैलरी कमेटी को भेज दिया जाए। इसको आप कनवे कर दीजिए।

SHRI S.B. CHAVAN: The Leader of the House should also convey the feelings of the Members of Parliaments to the Cabinet.

सदन के नेता (श्री सिकन्दर बख्त): जैसा आपने और मल्होत्रा साहब ने फरमाया है, मैंने उसको नोट किया है।